बिहार विधान-सभा

लोक लेखा समिति

का

प्रतिवेदन संख्या-482

ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन (सिविल) वर्ष 1989-90 (3·22), 1993-94 (6.3), 2000-01 (6 . 6), 2002-03 (4.1·6) एवं 2003-04 (4.1.5) पर लोक लेखा समिति का 482वाँ प्रतिवेदन ।

(वितरण शाखा) 11 APR 2012 बिहार, पटना

(दिनांक 19·3·12 को सदन में उपस्थापित)।

विषय-सूची

पृष्ठ संख्या

1. लोक लेखा समिति (पंचदश विधान-सभा) गठन वर्ष 2011-12 ... क

2. लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) का गठन वर्ष 2011-12 ... ख

3. लोक लेखा समिति (चतुर्दश विधान-सभा) का गठन वर्ष 2010-11 ... ग

4. सभा सचिवालय पदाधिकारी/कर्मचारीगण, प्रधान महालेखाकार कार्यालय के पदाधिकारी, वित्त विभाग के पदाधिकारीगण । घ

5. प्राक्कथन ... ... च

6. प्रतिवेदन 1-7

वर्ष		कंडिका		
1989-90 (सिविल)	...	3.22 ...	...	1
1993-94 (सिविल)	...	6.3 ...	...	2
2000-01 (सिविल)	...	6.6 ...	...	3
2002-03 (सिविल)	...	५.1.6 ...	...	4-5
2003-04 (सिविल)	...	4.1.5 ...	...	6-7
अनुलग्नक	...	... ...	...	8-43

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति वित्तीय वर्ष 2011-12 पंचदश विधान-सभा

सभापति

श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०

सदस्यगण

श्री राजेश सिंह	स०वि०स०
श्री रामचन्द्र सहनी	स०वि०स०
श्री अनिरूद्ध प्रसाद यादव	स०वि०स०
श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
श्री मंजीत कुमार सिंह	स०वि०स०
श्री अभिराम शर्मा	स०वि०स०
श्री अनन्त कुमार सत्यार्थी	स०वि०स०
श्री विनोद नारायण झा	स०वि०स०
श्रीमती उषा सिन्हा	स०वि०स०
श्री कृष्णनन्दन यादव	स०वि०स०
श्री मनोहर प्रसाद सिंह	स०वि०स०
श्री राणा गंगेश्वर सिंह	स०वि०स०
श्री नीरज कुमार	स०वि०प०
श्री मो० हारूण रसीद	स०वि०प०
डॉ० राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता	स०वि०प०
श्री केदार नाथ पाण्डेय	स०वि०प०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति की उप-समिति (1) का गठन वर्ष 2011-12

सभापति

श्री ललित कुमार यादव	स०वि०स०

संयोजक

श्री मंजीत कुमार सिंह	स०वि०स०

सदस्यगण

श्री रामचन्द्र सहनी	स०वि०स०
श्री अशोक कुमार	स०वि०स०
श्री नीरज कुमार	स०वि०प०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

लोक लेखा समिति का गठन वर्ष 2010-11 (चतुर्दश विधान-सभा) ।

सभापति

श्री अब्दुलबारी सिद्दिकी	स०वि०स०

सदस्यगण

श्री चन्द्रमोहन राय	स०वि०स०
श्री पन्ना लाल सिंह पटेल	स०वि०स०
श्री रामेश्वर प्रसाद	स०वि०स०
श्री फाल्गुनी प्रसाद यादव	स०वि०स०
श्री शोभाकान्त मण्डल	स०वि०स०
श्री कृष्णनन्दन प्रसाद वर्मा	स०वि०स०
श्री रामदेव राय	स०वि०स०
श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह	स०वि०स०
श्री रामदेव वर्मा	स०वि०स०
श्री मनीष कुमार	स०वि०स०
श्री नीतीश मिश्रा	स०वि०स०
श्री केदार नाथ पाण्डेय	स०वि०प०
श्री संजय कुमार झा	स०वि०प०
श्री प्रेम कुमार मणि	स०वि०प०
श्री बैद्यनाथ प्रसाद	स०वि०प०

बिहार विधान-सभा सचिवालय

श्री गिरीश झा	प्रभारी सचिव
श्री हरेराम मुखिया	उप-सचिव
श्री ताराचन्द रजक	अवर-सचिव
श्री भूदेव राय	अवर-सचिव
श्रीमती अनुपमा प्रसाद	प्रशाखा पदाधिकारी
श्री छोटे पासवान	वरीय लिपिक
श्री उमाशंकर यादव	वरीय लिपिक
श्रीमती संगीता कुमारी सिंह	कनीय लिपिक

प्रधान महालेखाकार कार्यालय

श्री प्रेमन दिनाराज	प्रधान महालेखाकार
श्री परवेज आलम	सहायक महालेखाकार
श्री अनिल कुमार वर्मा	वरीय लेखापरीक्षा अधिकारी

वित्त विभाग

श्री संजीवन सिन्हा	संयुक्त सचिव
श्री अशोक प्रियदर्शी	उप-सचिव

प्राक्कथन

मैं, सभापति लोक लेखा समिति की हैसियत से ग्रामीण विकास विभाग से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखापरीक्षक के अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 1989-90 (सिविल), 1993-94 (सिविल), 2000-01 (सिविल), 2002-03 (सिविल) एवं 2003-04 (सिविल) की कंडिका आपत्तियों पर लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 482वां प्रस्तुत करता हूँ ।

उक्त प्रतिवेदन दिनांक 30 नवम्बर, 2011 को लोक लेखा समिति (मुख्य) की बैठक में सर्वसम्मति से पारित किया गया है ।

चतुर्दश विधान-सभा की लोक लेखा समिति के निर्णयों का अनुमोदन वर्तमान लोक लेखा समिति (पंचदश विधान-सभा) द्वारा किया गया है ।

प्रतिवेदन तैयार करने के क्रम में प्रधान महालेखाकार कार्यालय एवं वित्त विभाग के प्रतिनिधि से समिति को वांछित सहयोग मिला है, जिसके लिए मैं अपनी तथा समिति की ओर से उन्हें धन्यवाद ज्ञापन देता हूँ।

बिहार विधान-सभा सचिवालय के पदाधिकारी एवं कर्मचारीगण ने प्रतिवेदन तैयार करने में समिति को जो सहयोग प्रदान किया है, वह सराहनीय है । इसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद देता हूँ ।

समिति के माननीय सदस्यों ने अपना बहुमूल्य समय देकर प्रतिवेदन को तैयार करने में जो सहयोग किया है, मैं उनका आभारी हूँ और इस कार्य हेतु मैं उन्हें सहृदय धन्यवाद देता हूँ ।

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

पटना :
दिनांक 30 नवम्बर, 2011 (ई०) ।

1989-90 (सिविल) पृष्ठ 74-75 (सी0ए0जी0 प्रतिवेदन)

3.22 मकानों के निर्माण में विलम्ब

हरिजनों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से, सीतामढ़ी जिला के कोषार ग्राम में दिसम्बर 1986 में प्रखण्ड विकास पदाधिकारी (बी० डी० ओ०) सोनबरसा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 जोड़ा एक प्रकार इकाइयों का निर्माण 6 लाख रुपये की एक अनुमानित लागत पर लिया गया था। जबकि कार्य को तीन महीनों के अन्दर पूरा करना था इकाईयों का निर्माण फरवरी 1990 तक चार वर्षों के बाद भी अपूर्ण शेष पड़ा था। 26 अपूर्ण इकाइयों, (4 इकाइयों के लिए सूचना अनुपलब्ध) पर किए गए व्यय 5.22 लाख रुपये था (अगस्त 1990)। पूर्णता में विलम्ब जिसके लिए कारणों का उल्लेख अभिलेख में नहीं था, प्रत्येक इकाई की अनुमानित लागत 0.20 लाख रुपये से 0.29 लाख रुपये अक्टूबर 1986 में संशोधित किया गया था। जैसा कि अगस्त 1990 तक 5.22 लाख रुपये का व्यय निष्फल हो चुका था और लाभान्वितों को बहुत ही आवश्यक आवासीय सुविधाओं से वंचित किया गया था।

मामला सरकार को नवम्बर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था; उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त 1992)।

विभागीय स्पष्टीकरण/उत्तर

सोनवर्षा जिला के कोषार नाम से कोई ग्राम नहीं है, सोनवर्षा प्रखंड में सिंहवाहिनी पंचायत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (एन.आर.ई.पी) के अंतर्गत 1986-87 में तीस जोड़ा इंदिरा आवास योजना ली गयी थी। वर्ष 1993 में प्रखंड से अवशेष राशि प्राप्त कर लाभुकों द्वारा सभी मकान का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था तथा आज भी वे लोग उस मकान में रह रहे है। (लाभुकों की सूची संलग्न) इनमें से छः लाभुकों यथा श्री रति लाल मांझी, रामप्रित मांझी, खट्टर मांझी, सूबार मांझी, सुरेश मांझी का घर 2004 के बाढ में ध्वस्त हो गया है। इन सभी घरों की विडियोग्राफी की स्थिति समिति को 29.08.08 के बैठक में उपलब्ध करा दी गयी है। लाभुकों की सूची भी बैठक में दे दी गयी है।

लाभुकों की सूची 29.08.08 के बैठक में ए.जी. को लाभुकों की सूची दी गयी है। ए.जी. को सुनिश्चित करना है कि ये कंडिका सही है या गलत तथा उप विकास आयुक्त, सीतामढी से किस किस तिथि को पंचायत सेवक को अग्रिम दी गयी है तथा किस-किस तिथि को पंचायत सेवक के द्वारा लाभुकों को पैसा भुगतान किया गया। साथ ही थाने में दायर सन्हा की कॉपी की मांग की गई है, जो अप्राप्त है।

अनुलग्नक पृष्ठ 8-12 पर द्रष्टव्य।

समिति की अनुशंसा

दिनांक:-18.09.2008 की बैठक में समिति द्वारा निष्पादित किया गया।

1993-94 (सिविल) पृष्ठ 139-140 (सी0ए0जी0 प्रतिवेदन)

6.3

सूद की क्षति एवं कम्पनी की अवांछित वित्तीय सहायता

जिला ग्रामीण विकास एजेन्सी (डी.आर.डी.ए.) भागलपुर ने एन. एम.आर.ई.पी. एवं आर. एल. ई.जी.पी. के तहत् वांछित विभिन्न कर्यों लिए 2054 टन लेवी सीमेंट की आपूर्ति हेतु दिसम्बर 1985 एवं जनवरी 1988 के बीच 19.90 लाख रुपये एसोसिएट कम सीमेंट कंपनी पटना को अग्रिम प्रदान किया। कम्पनी ने दिसम्बर 1985 से अप्रैल 1988 के दौरान 6.48 लाख रुपये मूल्य के मात्र 671.85 लाख टन सीमेंट की आपूर्ति की। शेष 1382.15 टन सीमेंट की आपूर्ति नहीं की गई। शेष 13.42 लाख रुपये में से कम्पनी ने दिसम्बर 1991 में 10.78 लाख रुपये वापस कर दिए लेकिन अप्रैल 1994 तक 2.64 लाख रुपये पास रख लिए गये।

लेखा परीक्षा संवीक्षा से पता चला कि डी.आर.डी.ए. भागलपुर द्वारा सूद के साथ 2.64 लाख रुपये की वसूली की कार्रवाई नहीं की गई जिसकी गणना(सूद की) 10.75 लाख रुपये पर (15 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से) 13.42 लाख रुपये दिसम्बर 1985 से नवम्बर 1991 तक एवं उसके बाद 2.64 लाख रुपये मार्च 1994 तक कम्पनी द्वारा अपने पास ही रह गया। इससे कम्पनी को अवांछित मदद पहुंचायी गई।

ध्यान दिलाये जाने पर उप विकास आयुक्त भागलपुर बतलाया(अप्रील 1994) कि जन मॉग वसूली अधिनियम के अन्तर्गत रकम की वापसी करवाने हेतु कार्रवाई की जा रही है। फिर भी आगे की सूचना नवम्बर 1994 तक प्राप्त नहीं की गई।

विभागीय स्पष्टीकरण/उत्तर

~~दिसम्बर 1994 में [illegible] सूचना की गई [illegible] (मार्च 1995)।~~

उप विकास आयुक्त भागलपुर अपने पत्रांक-2421, दिनांक 09.09.08 द्वारा प्रति प्रतिवेदित किया है कि वर्ष-1985-88 में जिस समय एसोसियेट सिमेंट कम्पनी को 205 मेट्रिक टन सिमेंट की आपूर्ति के लिए 1990 लाख रुपया अग्रिम के रूप में दिया गया था, उस अवधि में क्रमशः वर्ष 1985 से 1987 तक श्री अशोक कुमार चौहान एवं 1987 से 1988 तक श्री राम जी सिंह उप विकास आयुक्त, भागलपुर थे। कम्पनी के एकरारनामा के संबंध में उप विकास आयुक्त भागलपुर का कहना है कि मूल संचिका उपलब्ध नहीं हो रही है।

कम्पनी द्वारा 671.85 मेट्रिक टन सिमेंट की आपूर्ति दिसम्बर 1985 से अप्रैल 1988 के बीच की गई व दिये गये अग्रिम विशेष राशि 13.42 लाख रुपया में से कम्पनी द्वारा 10.78 लाख रुपया दिसम्बर 1991 में वापस कर दिया गया। इस प्रकार मूल अवशेष राशि 2.64 लाख रुपयें के साथ-साथ सूद की राशि 1075 लाख रुपये जोड़ कर नीलाम पत्र वाद दायर किया गया। अंकेक्षण प्रतिवेदन अनुसार सूद की राशि 15 प्रतिशत की दर से मार्च 1994 तक जोड़ा गया है। पुनः मूल राशि 2.64 एवं सूद की राशि 10.75 यानि कुल 13.39 लाख रूपये की वसूली के लिए दिनांक- 06.08.2008 को सर्टिफिकेट वाद 27/2008-09 दायर किया गया है।

समिति की अनुशंसा

दिनांक - 18.09.2008 की बैठक में समिति द्वारा निष्पादित किया गया।

2000-01 (सिविल) पृष्ठ 160 (सी०ए०जी० प्रतिवेदन)

6.6

एक फार्म को अदेय वित्तीय सहायता : 28 लाख रुपये

प्रबंध निदेशक, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (जि.ग्रा.वि.अ.), गया ने जवाहर रोजगार योजना (ज.रो.यो.) के अन्तर्गत विद्यालय भवन निर्माण एवं मरम्मति इत्यादि के लिये गया जिले के विभिन्न प्रखण्डों को 38330 बोरी सीमेंट की आपूर्ति हेतु एक फर्म (बिरला जूट इन्डस्ट्रीज, गया) को 41.54 लाख रुपये का अग्रिम (अप्रील 1996) दिया। अनुबंध के अनुसार सीमेंट की आपूर्ति 30 जून 1996 तक की जानी थी, जिसे बाद में बढ़ाकर 30 सितम्बर 1996 तक कर दिया गया था।

यह पाया गया कि फर्म ने 23.35 लाख रुपये मूल्य का मात्र 23778 बोरी सीमेंट की ही आपूर्ति की। 18.19 लाख रुपये मूल्य के शेष 14552 बोरी सीमेंट अप्रील 2001 तक भी आपूरित नहीं किये गये थे। जि.ग्रा.वि.अ. द्वारा या तो अग्रिम भुगतान की वसूली अथवा ज.रो.यो. के अन्तर्गत योजना के कार्यान्वियन के लिये सीमेंट की आपूर्ति सुनिश्चित करने हेतु कोई प्रभावकारी कदम नहीं उठाया गया था, जिसके परिणामस्वरूप फर्म को अप्रील 1996 से ही 18.19 लाख रुपये का अदेय वित्तीय लाभ मिला। सीमेंट की अनापूर्ति ने ज.रो.यो. योजनाओं को भी अवरूद्ध किया। जि.ग्रा.वि.अ.,गया ने मार्च 2001 तक मूल बकाये पर 9.82 लाख रुपये के ब्याज (12 प्रतिशत प्रतिवर्ष के उधार दर पर) की भी हानि उठाई।

~~मामले ... सरकार को~~ विभागीय स्पष्टीकरण/उत्तर
(~~... 2002~~)।

वर्ष- 1996-97 में जवाहर रोजगार योजना के संचालन हेतु सिमेंट क्रय करने का निर्णय लिया गया । तदनुसार उप विकास आयुक्त गया एवं मेसर्स बिड़ला इन्डस्ट्रिज सिमेंट डिविजन प्रतिनिधि के बीच एग्रीमेंट किया गया । तत्पश्चात अभिकरण से 04. 04. 96 को 25 लाख एवं 03. 06. 96 को 1653750/रूपये कम्पनी को अग्रिम दी गयी, कुल 4153750/ रूपये अग्रिम कम्पनी को दिया गया । कम्पनी को 33232 बोड़ा सिमेंट आपूर्ति करना था । प्रखंडों से मिलान करने के पश्चात पता चला कि कम्पनी के पास 3650 बोड़ा सिमेंट लंबित है । कम्पनी को अनेकों पत्र दिया गया, कम्पनी द्वारा 3650 बोड़ा सिमेंट का समतुल्य राशि 456250/ रूपये वापस नहीं करने के फलस्वरूप मनीसूट के संख्या-196/2006 न्यायालय गया में दायर किया गया है । जिसकी अगली तिथि 09.09.09 को है । सूद की राशि भी नीलामवाद में जोड़ने हेतु निदेश दिया गया है ।

कार्रवाही में शिथिलता बरतने वाले पदाधिकारी पर समिति के निदेशानुसार कार्रवाई हेतु कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग को विभागीय पत्रांक-5853, दिनांक-29.04.08 द्वारा भेजा गया है । जिसमें सर्वश्री विष्णु कुमार (06. 11. 99 से 17. 05. 03तक) जयमंगल पासवान, विजय कुमार सिंह, विजय कुमार सिन्हा, राज कुमार सिंह, बिनोद झा (28. 09. 05 से 15. 02. 07 तक) निदेशक लेखा, प्रशासन एवं स्वनियोजन गया मामला वर्ष 1996 का है, 96 से 99 के बीच के अवधि में पदस्थापित पदाधिकारी का नाम जोड़ने के लिए निदेश दिया गया है ।

अनुलग्नक पृष्ठ "13-23" पर द्रष्टव्य ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक- 18. 09. 2008 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में निष्पादित किया गया ।

2002-03 (सिविल) पृष्ठ 97 (सी0ए0जी0 प्रतिवेदन)

4.1.6 अग्रिम भुगतानों का दुर्विनियोजन

प्रखंड विकास कार्यालय, चोरौत, सीतामढ़ी में लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने के लिए 9 कर्मियों को दिया गया 35.62 लाख रुपये का अग्रिम 1 से 6 वर्षों तक वितरित नहीं किया गया।

प्रखंड विकास पदाधिकारी (बी. डी. ओ.), चोरौत (सीतामढ़ी) के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (फरवरी 2002) कि इंदिरा आवास योजना, बाढ़ राहत, सामाजिक सुरक्षा पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन तथा छात्रवृत्ति इत्यादि के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने के लिए फरवरी 1997 से मार्च 2001 तक तत्कालिन बी. डी. ओ. सहित 12 कर्मियों को 35.62 लाख रुपये को अग्रिम दी गई। हालांकि कर्मियों ने 1 से 6½ वर्षों तक इन अग्रिमों का न तो कोई लेखा प्रस्तुत किया न ही अभिलेख में लाभार्थियों को इन्हें वितरित करने संबंधी कोई साक्ष्य था। अतः संबंधित कर्मियों द्वारा सरकारी धन के दुर्विनियोजन से इंकार नहीं किया जा सकता था। विवरण निम्नवत था :

क्रमांक	कर्मियों का नाम एवं पदनाम	अग्रिम की राशि (रुपये में)	प्राप्ति की अवधि	अग्रिम का प्रयोजन
1	अरूण कुमार भट्टाचार्य, बी. डी. ओ., चोरौत	22,03,010	मार्च 1997 से मई 1999	इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
2	शंभु प्रसाद चौरसिया, प्रधान सहायक	55,000	—	इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
3	हिमांशु भूषण ठाकुर, उद्योग विस्तार पदाधिकारी, पुपरी सह चोरौत	10,23,386	अक्टूबर 1997 से अगस्त 2000	सामाजिक सुरक्षा पेंशन, बाढ़ राहत तथा छात्रवृत्ति के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
4	दिनबंधु मिश्रा, सहकारिता पदाधिकारी	35,000	फरवरी 1997 एवं जुलाई 1997	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
5	राम विलास यादव, पंचायत सेवक	1,42,200	फरवरी 1998 से दिसंबर 1999	सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
6	कपिलेश्वर दास, पंचायत सेवक	25,000	मार्च 2001	वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थियों को तुरंत वितरित करने हेतु
7	परमानंद झा, पंचायत सेवक	51,225	मार्च 1999 से मार्च 2001	इंदिरा आवास योजना के लाभार्थियों को वितरित करने हेतु
8	सुशील कुमार वर्मा, कल्याण पदाधिकारी	10,088	मार्च 2001	छात्रवृत्ति के लाभार्थियों के बीच वितरित करने हेतु
9	अवध बिहारी पांडेय, लिपिक	16,800	अगस्त 1999	लाभार्थियों (मातृत्व) को सहायता अनुदान तुरंत वितरित करने हेतु
	योग	35,61,709		

जिन कर्मियों को निधि अग्रिम की गई थी उनसे लाभार्थियों को वितरण सुनिश्चित करने में बी. डी. ओ. विफल रहें। पूर्व में भुगतान किए गए अग्रिमों का समायोजन सुनिश्चित किए बगैर उन्होंने कर्मियों को लगातार अग्रिम का भुगतान किया।

बी. डी. ओ. ने सूचित किया (सितंबर 2003) कि अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी ने तत्कालीन बी. डी. ओ. के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज किया था (सितंबर 2003) तथा उन्हें सर्टिफिकेट नोटीस निर्गत किया गया था लेकिन दूसरे कर्मियों के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की गई थी। मामले की आगे की प्रगति प्रतीक्षित (दिसम्बर 2003) थी।

मामला सरकार को संदर्भित किया गया (मई 2003) ; उनके उत्तर अप्राप्त थे (अप्रैल 2004)।

विभागीय स्पष्टीकरण/उत्तर

उप-विकास आयुक्त, सीतामढ़ी के पत्रांक 642, दिनांक 19 फरवरी, 2007 द्वारा प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है । जिसके अनुसार चोरौत प्रखण्ड के कर्मियों को दिये गये कुल अग्रिम 35,61,09 रुपये में से 12,18,586 रुपये का अभिश्रव/नगद का समायोजन किया जा चुका है । 22,03,010 रुपये की वसूली हेतु श्री अरूण कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, पुपरी के विरुद्ध प्राथमिकी पुपरी थाना कांड संख्या 118/03, धारा 409 भा०द०वि०, दिनांक 05 सितम्बर, 2003 दर्ज की गयी है । इसकी गिरफ्तारी हेतु जिला पदाधिकारी, सीतामढ़ी के पत्रांक 643, दिनांक 19 मार्च, 2007 द्वारा आरक्षी अधीक्षक, सीतामढ़ी को निदेश दिया गया है । शेष राशि 1,40,113 रुपये की वसूली हेतु श्री शम्भू प्रसाद चौरसिया, प्रधान सहायक, श्री कपिलेश्वर दास, पंचायत सेवक, श्री परमानन्द झा, पंचायत सेवक, श्री सुनील कुमार वर्मा, पंचायत सेवक एवं श्री अवध बिहारी पाण्डेय, पंचायत सेवक के विरुद्ध राशि की वसूली हेतु अंचल अधिकारी, चोरौत के न्यायालय में नीलाम-पत्र वाद संख्या 2/06-07, दिनांक 16 मार्च, 2007 को दायर है ।

अतः की गयी कार्रवाई को देखते हुए इस कंडिका को निरस्त किया जा सकता है ।

अनुलग्नक--पृष्ठ "24-36" पर द्रष्टव्य ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 26 जुलाई, 2007 की बैठक में विभागीय उत्तर के आलोक में निष्पादित किया गया ।

2003-04 (सिविल) पृष्ठ 81-82 (सी0ए0जी0 प्रतिवेदन)

4.1.5 सरकारी धन का लेखाकरण नहीं होना

उचित कार्यवाही को अनदेखी तथा अग्रिम के भुगतानों पर अपर्याप्त नियंत्रण से 10 लाख रुपये का लेखाकरण नहीं हुआ।

कार्यपालक अभियंता (का.अ.) ग्राम्य अभियंत्रण संगठन प्रमंडल, शेखपुरा के अभिलेखों की जाँच से ज्ञात हुआ (नवम्बर 2003) कि विभिन्न योजनाओं* के कार्य निष्पादन हेतु जनवरी 2000 से जुलाई 2001 के दौरान का. अ. को उप विकास आयुक्त, शेखपुरा तथा लखीसराय से 67.59 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ। राशि को नियमानुसार कोषागार में सिविल जमा में रखने के बदले बचत बैंक खाता में रखा गया।

प्रमंडल को प्राप्त 67.59 करोड़ रुपये में से 14.18 लाख रुपये स्टोन एग्रीमेंट्स के राजस्व के रूप में सरकार को जमा होना था। राशि को रोकड़ बही में सहायक अभियंताओं (स.अ.), शेखपुरा तथा बरबीघा को अग्रिम के रूप में मई 2000 (13.77 लाख रुपये) तथा अक्टूबर 2001 (0.41 लाख रुपये) क्रमशः अस्थायी अग्रिम के रूप में विभागीय कार्यों के निष्पादन हेतु दर्शाया गया। सहायक अभियंता, शेखपुरा ने अपने रोकड़ पंजी में मात्र 3.77 लाख रुपये लेखापित किया तथा उक्त रकम का समायोजन लेखा प्रस्तुत किया। शेष 10 लाख रुपये रोकड़ पंजी में लेखापित नहीं किया गया तथा स. अ. ने रकम की प्राप्ति से इन्कार किया।

अतः वित्तीय नियमों की अनदेखी तथा अग्रिम के भुगतानों पर अपर्याप्त नियंत्रण के फलस्वरूप विभागीय प्राप्तियों का व्यय हेतु विचलन तथा 10 लाख रुपये का लेखाकरण नहीं हुआ।

सरकार के सचिव, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, ग्रामीण विकास विभाग ने अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन (कार्य) अंचल, भागलपुर को (फरवरी 2005) मामले की जांच कर तुरंत प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए निर्देश दिया। मामले में आगे प्रगति का इन्तजार था (फरवरी 2005)।

विभागीय स्पष्टीकरण/उत्तर

कार्0अ0, ग्रा0 अ0 सं0, कार्य प्रमंडल ,शेखपुरा के द्वारा अग्रिम के रूप में निम्नलिखित राशियाँ दी गई :-

1. श्री राजेन्द्र सिंह तात्कालीन स0अ0,कार्य अवर प्रमंडल शेखपुरा को सितम्बर तथा अक्टूबर 2001 में	13.77284 लाख रू0
2. श्री रवीन्द्र पाण्डेय तात्कालीन,स0अ0,कार्य अवर प्रमंडल बरबीघा को 5/2000 में	0.173 लाख रू0
3. श्री रवीन्द्र पाण्डेय तात्कालीन स0अ0,कार्य अवर प्रमंडल लखीसराय को 10/2000 में	0.24105 लाख रू0

सचिव, ग्रा0अ0सं0, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-112,अनु0दिनांक-01.02.2005 द्वारा मामले की जांच हेतु अ0अ0,ग्रा0 सं0,कार्य प्रमंडल,कार्य अंचल,भागलपुर को निदेश दिया गया ।

अ०अ०, ग्रा०अ०सं०, कार्य अंचल, भागलपुर ने अपने जाँच प्रतिवेदन में उपरोक्त अग्रिम को सही माना एवं इसे राजस्व प्राप्ति का रकम बताया गया है । इस रकम को ट्रेजरी चलान के माध्यम से यथोचित खनन शीर्ष में जमा होना चाहिए, परन्तु तत्कालीन कार्यपालक अभियंता द्वारा 10 लाख रुपये स० अ०, शेखपुरा को अग्रिम के रूप में दिखाया गया है, वह एक ही तिथि 10 अक्टूबर, 2001 को 5-5 लाख रुपये के रूप में स० अ० को सीधे तथा कनीय अभियंता श्री धनन्जय प्रसाद के माध्यम से अग्रिम दिखाया गया है । अ० अ० द्वारा यह लिखा गया है कि राजस्व प्राप्ति की राशि को खर्च करने का अधिकार का० अ० को नहीं है ।

उपरोक्त जाँच प्रतिवेदन के आधार पर का० अ० श्री गणेश प्रसाद सिंह एवं तीनों सहायक अभियंता के विरुद्ध आरोप प्रपत्र 'क' में गठित कर उनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग को इस कार्यालय के पत्रांक 3741 अनु०, दिनांक 9 सितम्बर, 2005 द्वारा भेज दिया गया है तथा इस कार्यालय के पत्र सं० 1827, दिनांक 1 जून, 2005 द्वारा सूचना वित्त आयुक्त को भी दे दी गयी है ।

इस संबंध में तत्कालीन का० अ० श्री गणेश प्रसाद सिंह (31 जुलाई, 2003) सेवानिवृत्त के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का प्रस्ताव माननीय मुख्य मंत्री को भेजा गया था, जिसपर अनुमोदन प्राप्त हो चुका है तथा इस कार्यालय के पत्रांक 1940, दिनांक 10 फरवरी, 2006 द्वारा का० अ०, शेखपुरा को प्राथमिकी दर्ज करने हेतु लिखा गया है ।

अनुलग्नक--पृष्ठ "37-43" पर द्रष्टव्य ।

समिति की अनुशंसा

दिनांक 21 जुलाई, 2006 की बैठक में समिति द्वारा विभागीय उत्तर के आलोक में निष्पादित किया गया ।

पटना :
दिनांक 30 नवम्बर, 2011 (ई०) ।

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

समाहरणालय, सीतामढ़ी
विकास प्रशाखा।

प्रेषक,
उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

पत्रांक - 1545 / वि०वि०
दिनांक 28/8/2008

सेवा में,
उप-सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय : सोनवरसा प्रखंड से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका सं० 3.22 /89-90 का अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

प्रसंग : विभागीय पत्र संख्या 9691 दिनांक 09.07.08

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रखंड कार्यालय, सोनवरसा से संबंधित भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन (सिविल) की कंडिका 3.22 /89-90 का अनुपालन प्रतिवेदन निम्नप्रकार है।

कंडिका सं० 3.22

हरिजनों को मुफ्त आवास सुविधा प्रदान करने की दृष्टि से सीतामढ़ी जिला के कोषार ग्राम में दिसम्बर, 1985 में प्रखंड विकास पदाधिकारी (बी०डी०ओ०) सोनवरसा द्वारा राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम के अन्तर्गत 30 जोड़ा एक प्रकार इकाईयों का निर्माण 6.00 लाख रू० की पूर्ण अनुमानित लागत पर लिया गया था। यद्यपि कार्य को 3 महिनों के अन्दर पूरा करना था। इकाईयों का निर्माण फरवरी, 1990 तक चार वर्षों के बाद भी अपूर्ण शेष पड़ा था। 26 अपूर्ण इकाईयों (4 इकाई के लिए सूचना अनुपलब्ध) पर किए गए व्यय 5.22 लाख रूपये था (अगस्त, 1990)। पूर्णता में विलम्ब जिसके लिए कारणों का उल्लेख अभिलेख में नहीं था, प्रत्येक इकाई की अनुमानित लागत 0.20 लाख रू० से 0.29 लाख रू० अक्टूबर, 1986 में संशोधित किया गया था। जैसा कि अगस्त, 1990 तक 5.22 लाख रू० का व्यय निष्फल हो चुका था और लाभान्वितों को बहुत ही आवश्यक आवासीय सुविधाओं से वंचित किया गया था।

मामला सरकार को नवमबर 1990 में प्रतिवेदित किया गया था, उत्तर प्राप्त नहीं हुआ था (अगस्त, 1992)

सोनवरसा प्रखंड में कोषार नाम का कोई ग्राम नहीं है। सोनवरसा प्रखंड में सिंहवाहिनी पंचायत में वर्ष 1986-87 में 30 जोड़े इन्दिरा आवास की योजना ली गई थी जिसकी लागत प्रति टयून 27250.00 रू० था। इस योजना के लिए तत्कालीन पंचायत सेवक स्व० जय नारायण साह को अभिकर्त्ता बनाया गया था। अंकेक्षण की तिथि तक निर्माणाधीन इकाई का कार्य पूर्ण नहीं हो पाया था जिसके कारण अंकेक्षण में अपूर्ण इकाईयों पर 5.22 लाख का निष्फल व्यय बताया गया है। अभिकर्त्ता के सेवा निवृत हो जाने के पश्चात् निर्माणाधीन इकाईयों का कार्य स्वयं लाभान्वितों द्वारा वर्ष 1993 में पूर्ण कराया गया है। उक्त निर्मित इकाई के भौतिक सत्यापन हेतु दिनांक 25.08.08 को अधोहस्ताक्षरी द्वारा प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबरसा एवं स्थानीय मुखिया श्री रामनरेश साह जो कि तत्कालीन समय में स्थानीय विधायक माननीय स्व० कर्पुरी ठाकुर के निजी सहायक थे के साथ स्थल निरीक्षण किया। स्थल पर लाभुकों द्वारा बतलाया गया कि उनके द्वारा प्रखंड से अवशेष राशि प्राप्त कर वर्ष 1993 में सभी मकान का निर्माण पूर्ण कर लिया गया था (लाभुकों की सूची संलग्न है)। आज भी ये लोग उसी मकान में रह रहे हैं। इनमें से 6 लाभुकों यथा रतीलाल मांझी, रामपृत मांझी, खट्टर मांझी, सुवाई मांझी, सुरेश मांझी एवं अकलू मांझी द्वारा उपर में खपड़ा न देकर फूस का घर बनाया गया था तथा उसमें वे रहते थे। 3 घर वर्ष 2004 के प्रलयंकारी बाढ़ में ध्वस्त हो गया है। स्थल पर उपलब्ध लाभुकों एवं स्थानीय मुखिया द्वारा इस आशय की जानकारी लिखित रूप से दी गई है जो कि इस प्रतिवेदन के साथ संलग्न है। इन सभी घरों की विडियोग्राफी की सी०डी० इस प्रतिवेदन के साथ दिया जा रहा है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि राशि का निष्फल व्यय नहीं हुआ है।

अतः अनुरोध है कि तदनुसार स्थिति से माननीय लोक लेखा समिति को अवगत कराने की कृपा की जा जाए।

विश्वासभाजन,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
सोनवरसा।

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

"सीतामढ़ी जिला। सोनबरसा प्रखण्ड के सिंहवाहि-
-नी पंचायत अंतर्गत सिंहवाहिनी बड़ी गाँव में वर्ष 1986
के दिसम्बर माह में 30 यूनिट (तीस यूनिट) हरिजन कॉलोनी
का निर्माण कार्य तत्कालीन पंचायत सेवक (तत्कालीन)
जयनारायण साह के द्वारा आधा - अधूरा बनाना शुरू
किया गया। शेष अधूरे निर्माण कार्य को जयनारायण साह
के सेवानिवृत होने के पश्चात लाभुकों द्वारा स्वयं निर्माण
किया गया। जिसका भुगतान लाभुक को प्रखण्ड द्वारा
किया गया। 60 लाभुको को पूरा भुगतान कर दिया गया।
लेकिन इसमें से 3 यूनिट अर्थात 6 लाभुक द्वारा ऊपर से खपरा
के बदले फूस का छत बनाया। 27 यूनिट निर्मित हरिजन
कॉलनी में से 1½ यूनिट यानी 3 घर 2004 के प्रलयकारी
बाढ़ में ध्वस्त हो गया। शेष 51 आवास में आज भी
लाभुक के परिवार रह रहे हैं। 6 आवास जिस पर फूस का छत है
उसमें आज भी लाभुक के परिवार ① रतिलाल मांझी ② अमर
मांझी ③ रामधूत मांझी ④ रघुवीर मांझी ⑤ जुवाई मांझी
⑥ सुरेश मांझी — रह रहे हैं।

1 निo मुवार मांझी
2 निo भोलू मांझी
3 निo रामलोचन मांझी
(4) सीताराम मांझी
(5) राम ईश्वर मांझी
(6) विकास मांझी
(7) सुनील मांझी
(8) अवध मांझी
(9) निo कृष्ण मांझी
(10) निo रामबाबू मांझी
(11) रामलखन मांझी

मैं व्यक्तिगत तौर पर
उपरोक्त तथ्यों को
जानता हूँ। निर्माण
तत्कालीन समय में
श्री जयनारायण साह
कार्यकारी पंचायत सेवक
था। अभी वर्तमान
मैं सिंहवाहिनी पंचायत
का मुखिया भी हूँ।

(हस्ताक्षर) 26.8.08
मुखिया
ग्राम पंचायत राज. सिंहवाहिनी.
प्रखण्ड-सोनबरसा जि०-सीतामढ़ी

(हस्ताक्षर)

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत प्रखंड सोनबरसा ग्राम बड़ी सिमरिया में इंदिरा
आवास एवं योजना से संबंधित लाभान्वितों की सूची

क्र0	नाम	पिता का नाम	क्र0	नाम	पिता का नाम
1	अकलू [illegible]	रतीलाल मांझी	32	[illegible] मांझी	फकीर मांझी
2	रतीलाल मांझी	खटर मांझी	33	जुगल मांझी	धरतु मांझी
3	आशीष [illegible] मांझी	सोनफी मांझी	34	[illegible] मांझी	भोला मांझी
4	स्व0 [illegible]फी मांझी	लालजी मांझी	35	स्व0 प्रसादी मांझी	वासदेव मांझी
5	मखन [illegible]	गली मांझी	36	सुरश मांझी	प्रसादी मांझी
6	भीखर [illegible]	गली मांझी	37	स्व0 गोपाल मांझी	परसन मांझी
7	सुनर [illegible]	गली मांझी	38	स्व0 आमीचन मांझी	एकबाल मांझी
8	विकाउ [illegible]	सुकन मांझी	39	गजाधर मांझी	आनन्द मांझी
9	नेबु [illegible]	रउदी मांझी	40	स्व0 विलास मांझी	पिजट मांझी
10	स्व0 [illegible] मांझी	रउदी मांझी	41	रामदरश मांझी	आनन्द मांझी
11	स्व0 [illegible] मांझी	[illegible] मांझी	42	रामएकबाल मांझी	परसन मांझी
12	स्व0 [illegible] मांझी	लटटु मांझी	43	स्व0 विन्देश्वर राम	राधाकिशुन राम
13	सिउदु [illegible]	ठेठर मांझी	44	स्व0 राम सेवक राम	छपा राम
14	सुवाई [illegible]	सरी मांझी	45	वृछ राम	सुकन राम
15	रामलखन मांझी	महावीर मांझी	46	उपेन्द्र राम	सुकन राम
16	सिरचन मांझी	महावीर मांझी	47	स्व0 दशई राम	झिंगुर राम
17	हरिचन [illegible]	महावीर मांझी	48	त्रिविन्दर राम	दशई राम
18	वेचन [illegible]	खटर मांझी	49	स्व0 राम प्रसाद पासवान	ललितर पासवान
19	सुवाई [illegible]	सुधन मांझी	50	राजेन्द्र पासवरान	जुगल पासवान
20	उधनु [illegible]	सुधन मांझी	51	स्व0 रामचन्द्र पासवान	रामधारी पासवान
21	पुजलाल मांझी	सुधारी मांझी	52	गिधारी पासवान	ललितर पासवान
22	जगन [illegible]	सुधन मांझी	53	स्व0 मुनी पासवान	नथुनी पासवान
23	भदई [illegible]	सोनफी मांझी	54	राजेश्वर पासवान	मुनी पासवान
24	स्व0 [illegible] मांझी	स्व0 सुकन मांझी	55	जोगी पासवान	केता पासवान
25	महेन्द्र [illegible]	सोनफी मांझी	56	रामबहादुर पासवान	सोगलाल पासवान
26	जोगी [illegible]	सोनफी मांझी	57	स्व0 लक्ष्मी पासवान	अशोकी पासवान
27	राम सेवक मांझी	सुखलाल मांझी	58	स्व0 प्रदीप पासवान	नथुनी पासवान
28	नथुनी [illegible]	सुखलाल मांझी	59	स्व0 देवन पासवान	कुंजी पासवान
29	सेवक [illegible]	फकीर मांझी	60	विलास पासवान	कुंजी पासवान
30	प्रदीप [illegible]	फकीर मांझी			
31	नन्की [illegible]	फकीर मांझी			

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
सोनबरसा।

11

समाहरणालय,सीतामढ़ी
विकास प्रशाखा

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

पत्रांकः– 1753
दिनांकः– 17.9.08

सेवा में,

सरकार के संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषयः– भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 1989–90 की कंडिका सं0– 3.22 का अनुपालन प्रतिवदेन के संबंध में।

प्रसंगः– विभागीय पत्र सं– 11449 दिनांक 11.08.08 एवं 12223 दिनांक 02.09.08

महाशय,

उपरोक्त विषय एवं प्रसंग के संबंध में प्रखंड विकास पदाधिकारी, सोनबरसा से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार बिन्दुवार प्रतिवेदन निम्न प्रकार है।

1. वर्ष 2004 में आयी भीषण बाढ में प्रखंड कार्यालय में पानी घुसने के कारण बहुत से अभिलेख/ संचिका एवं पंजी नष्ट हो गई।	प्रखंड विकास पदाधिकारी सोनबरसा का पत्रांक 794 दिनांक 08.07.04 द्वारा दिनांक 04.07.04 से 08.07.04 तक बाढ एंव वर्षापात की सूचना जिला पदाधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी एवं थाना प्रभारी सोनबरसा को भेजी गई थी। थाना प्रभारी सोनबरसा द्वारा दिनांक 09.07.04 को अतिवृष्टि एवं नदियों में आई बाढ से संबंधित सनहा दर्ज किया गया था। दर्ज सनहा से स्पष्ट होता है कि करीब चार फीट पानी आ जाने के कारण थाना परिसर सहित सभी कार्यालय प्रभावित हुआ था। तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री बाँके बिहारी चौधरी द्वारा भींगे हुए अभिलेखों को सुखाने तथा नष्ट होने से बचाने का प्रयास करने के कारण बहुत सारे कागजातों /अभिलेखों आदि को सुरक्षित बचाया जा सका। परन्तु जो कागजात भिंगने से गल गये थे उन्हें बचाया नहीं जा सका। ऐसी घटना की पुनरावृति न हो इसके लिए महत्त्वपूर्ण कागजातों /अभिलेखों को अलमारी के उपरी तल पर रखा जाता है।
2. तत्कालीन पंचायत सेवक स्व0 जय नारायण साह को किस–किस तिथि को अग्रिम दी गई है। वर्ष 1993 में किस–किस तिथि को पंचायत सेवक द्वारा लाभुकों को कितनी–कितनी शेष रकम दी गई है ? क्या सूद की राशि उनसे वसूल की गई है या नहीं। साथ हीं सनहा की प्रति भी भेजें।	– योजना के अभिकर्त्ता स्व0 जय नारायण साह पंचायत सेवक को अग्रिम पंजी के अनुसार दिनांक 22.08.1987, 29.08.87, 15.01.88, 29.04.88, 21.05.88, 01.06.88, 07.06.88, 07.07.88, 27.02.89, 07.04.89, 12.05.89, 15.12.89, 17.03.90, 06.04.90, एवं 02.06.90 को कुल 128000 /– (एक लाख अठाइस हजार) रू0 नगद के रूप में दिया गया था। इसके अतिरिक्त मकान निर्माण हेतु सामग्रियां यथा छड़, सीमेन्ट, बालू के रूप में भी अग्रिम उपलब्ध कराया गया था। योजना का अभिलेख उपलब्ध नहीं रहने के कारण नगद एवं सामग्रियों को मिलाकर कितना अग्रिम दिया गया, का आंकलन संभव नहीं है। अग्रिम पंजी एवं उपलब्ध अन्य कागजातों के अनुसार अभिकर्त्ता द्वारा दिनांक 11.05.1991, 29.05.92, 22.06.92, 06.01.93, 31.03.93 एवं दिनांक 29.06.93 को कुल 130471.95 (एक लाख तीस हजार चार सौ एकहत्तर रू0 पंचानवे पैसे) प्रखंड कार्यालय में जमा कर दिया गया। इनसे सूद की राशि वसूल नहीं की गई है। वर्ष 1993 में पंचायत सेवक द्वारा लाभुकों को राशि उपलब्ध कराने की सूचना /विवरण उपलब्ध नहीं है।

अनुरोध है कि वर्णित स्थिति में अंकित तथ्यों से माननीय लोक लेखा समिति को अवगत कराने की कृपा की जाए।

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
सोनबरसा।

विश्वासभाजन,
उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

जिला सीतामढ़ी थाना सोनबरसा चौकी ×

तिथि 9/7/04 प्रविष्टि 152

ग० सं० एवं समय शुक्रवार

	अ० नि०	स० अ० नि०	हवलदार	आरक्षी
विवरणी				
उपस्थित	आ० 0880 धामी	धनेश्वर पासवान, सीता राम चौ०, रामाशंकर सिंह	जयनन्दन सिंह	583, 738
बाहर	×		उर्धो राय	280
अवकाश	×		+	×
बिमार	×		×	×

Attested 15/9/08 SHO Sonbarsa P.S

153 | 08.00 | आरम्भ | अगले 24 घंटे का थाना दैनिकी लिखना आरम्भ किया। [illegible]

154 | पुनः पक्षा मिलान | आ० 583 विजय कुमार राय को अगले 24 घंटे के लिए थाना मालखाना सिरिस्ता वितंतू हुजमाद तथा सभी सरकारी सामानों की निगरानी हेतु डिउटी तकसिम किया तथा होशियार बना दिया। [illegible]

155 | 10.00 | सनहा | अति वृष्टि एवं नदियों में आये बाढ़ की वजह से उक्त थाना क्षेत्र का करीब करीब सभी गाँव बाढ़ से पूरी तरह प्रभावित हो गया है। प्रखण्ड एवं थाना में करीब चार फीट पानी लग गया है। मालखाना [illegible] [illegible] खिड़की, दरवाजा [illegible] बन्द किये जाने पर प्रभार उपलब्ध की [illegible] उसमें रखा सामान पानी घुसने से सड़ जायेगा। इसकी जानकारी [illegible] वरीय पदा० महोदय को दे दी गयी है। बाढ़ के सम्बन्ध में भी प्रखण्ड विकास पदा० को दी गयी है तथा अद्यतन स्थिति के सम्बन्ध में जानकारी [illegible] समय-समय पर दी जा रही है। [illegible]

156 | 12.00 | चौकी | चौकीदारी परेड मुल्तवी किया। [illegible]

157 | 14.00 | परेड सनहा | इस समय कोई चौकीदार उपस्थित नहीं हुआ इसलिए [illegible] नहीं हो सका। मूसलाधार बारिश लगातार हो रही है। [illegible]

158 | 16.00 | सनहा | काफी भयावह बाढ़ की वजह से मुख्यालय से किसी प्रकार का सम्पर्क नहीं होने की वजह से आवश्यक डाक भी भेजना संभव नहीं हो रहा है। सनहा दर्ज किया। [illegible]

159 | 17.00 | प्रस्थान | स० अ० नि० धनेश्वर पासवान [illegible] वाला के साथ वाहर [illegible] थाना से सोनबरसा, मलाही चौकी के लिए गश्ती के लिए प्रस्थान किया।

160 | 18.00 | सदा | इस समय कुछ नहीं लिखना है।

13

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

पत्रांक 5853 पटना, दिनांक 29/4/08
ग्रा.वि.8(च)सी.ए.जी.-18/2006

प्रेषक,

आदित्य प्रसाद
सरकार के उप सचिव

सेवा में,

सचिव,
कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय :– भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2000-01 की कंडिका-6.6 के संबंध में ।

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक के प्रतिवेदन वर्ष 2000-01 की कंडिका-6.6 गया जिला से संबंधित है । उक्त कंडिका में जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत विद्यालय भवन एवं मरम्मति इत्यादि के लिए 38330 बोरे सिमेन्ट की आपूर्ति करने के लिए मेसर्स विरला जूट इन्डस्ट्रीज, गया को 41.54 लाख रूपया अग्रिम दिया गया था । जिसके विरूद्ध फर्म द्वारा 23.35 लाख रूपये मूल्य का 23778 बोरी सिमेन्ट की आपूर्ति की गई । शेष 18.19 लाख रूपये मूल्य के सिमेन्ट की आपूर्ति वर्ष 2001 तक नहीं की गई थी । प्रतिवेदन में यह आपति उठाई गई थी कि बकाये राशि की वसुली न कर फर्म को वित्तीय लाभ पहुचाया गया, जिससे सरकार को वित्तीय क्षति हुई ।

फर्म द्वारा राशि वापस नहीं करने पर वर्ष 2006 में फर्म के विरूद्ध मनीसूट दायर किया । उप विकास आयुक्त, गया ने अपने पत्रांक-1701 दिनांक 29.08.07 द्वारा प्रतिवेदित किया है कि उक्त अवधि में निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन गया के पद पर निम्नलिखित पदाधिकारी कार्यरत थे ।

(1) श्री विष्णु कुमार-06.11.1999 से 17.05.2003
(2) श्री जय मंगल पासवान-18.05.03 से 25.05.03
(3) श्री विजय कुमार सिंह-26.05.2003 से 15.12.04
(4) श्री विजय शंकर सिन्हा-23.12.04 से 18.01.05
(5) श्री राजीव कुमार सिंह-19.01.05 से 27.05.05
(6) श्री विनोद झा-28.09.05 से 05.02.07

अतः अनुरोध है कि उक्त पदाधिकारियों के विरूद्ध नियमानुकूल आवश्यक कार्रवाई करने की कृपा की जाय ।

विश्वासभाजन

29/4/08

(आदित्य प्रसाद)
सरकार के उप सचिव

कार्यालय, जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया ।

पत्रांक......../जि०ग्रा०वि०अभि०
1518

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
गया।

सेवा में,

श्री के०पी० सिंह,
सरकार के संयुक्त सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

गया, दिनांक 11/8/2008 ई०।

विषय : सी०ए०जी० के कंडिका के अनुपालन के संबंध में।

प्रसंग : आपका पत्रांक 10618/ग्रा०वि०/6/लो०लेखा सं०–01/2006 दिनांक 26.07.08

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रसंगाधीन पत्रांक 10618/ग्रा०वि० दिनांक 26.07.08 के संदर्भ में वांछित सूचनाएँ कंडिकावार निम्नवत् है :-

(1) 6.6/2001 -- मेसर्स बिड़ला जूट सिमेन्ट डिवीजन, एक्जीबीशन रोड, पटना को सिमेन्ट की आपूर्ति के लिए रू० 41.54 लाख (एकतालीस लाख चौवन हजार) रूपये अग्रिम दिया गया था। उक्त राशि में से मो० 4,5_,250/- (चार लाख छप्पन हजार दो सौ पचास) रूपये मात्र का फर्म द्वारा सिमेन्ट की आपूर्ति नहीं किया गया। उक्त बकाया राशि की वापसी हेतु इस कार्यालय के पत्रांक क्रमशः 256 दिनांक 0_.02.02, पत्रांक 569 दिनांक 31.02.02, पत्रांक 752 दिनांक 14.05.02, पत्रांक 2030 दिनांक 30.12.02, पत्रांक 456 दिनांक 31.03.0_, पत्रांक 1585 दिनांक 30.09.03, पत्रांक 1377 दिनांक 15.04.06 तथा अंतिम पत्रांक 917 दिनांक 07.07.06 से स्मारित करने के बावजूद संबंधित फर्म के द्वारा मो० 4,56,250/- (चार लाख छप्पन हजार दो सौ पचास) रूपये वापस नहीं किया गया है।

उक्त बकाया राशि की वसूली हेतु तत्कालीन उप विकास आयुक्त ने दिनांक 10.07.06 को तत्कालीन निदेशक, लेखा प्रशासन एवं स्वनियोजन को निदेश दिया था कि राशि की वसूली हेतु फर्म के विरूद्ध FIR दर्ज किया जाय। तदोपरान्त निदेशक, लेखा प्रशासन ने लोक अभियोजक एवं सरकारी अधिवक्ता से विचार-विमर्श किया तथा सरकारी अधिवक्ता ने सुझाव दिया कि फर्म से बकाये राशि की वापसी हेतु मनीसूट दायर किया जाना उचित होगा। जैसा की संचिका के अवलोकन से ज्ञात होता है तत्पश्चात अधिवक्ता द्वारा दिये गये सुझाव के आलोक में तत्कालीन उप विकास आयुक्त के आदेश से फर्म के विरूद्ध मनीसूट दायर किया गया है। जिसका केस संख्या 196/2006 है। मुकदमें की अगली सुनवाई की तिथि 09.09.2008 को निर्धारित है।

इस मामले में आपूर्तिकर्ता के साथ कोई एकरारनामा नहीं किया गया था। अपितु बिड़ला जूट एण्ड इण्डस्ट्रीज लि० से कोटेशन प्राप्त कर 125/- (एक सौ पचीस) रूपये प्रति बैग की दर से प्रखण्डों तक आपूर्ति करने की स्वीकृति देते हुए दो किश्त में क्रमशः पत्रांक 1513 दिनांक 03.06.96 द्वारा मो० 16,53,7_/- (सोलह लाख तिरपन हजार सात सौ पचास) रूपये एवं पत्रांक 1215 दिनांक 04.04.96 द्वारा मो० 25,_,000/- (पचीस लाख) रूपये कुल मो० 41,53,750/- (एकतालीस लाख तिरपन हजार सात सौ पचास) रूपये का अग्रिम तत्कालीन उप विकास आयुक्त द्वारा दिया गया था।

(2) 3.2 _/2001-02 -- श्री राजा राम शर्मा, तत्कालीन कनीय अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, गया

शेष अगले पृष्ठ पर

(2)

प्रमण्डल, गया को कब-कब कितनी राशि अग्रिम दी गई थी, से संबंधित प्रतिवेदन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी कोंच के पत्रांक 765 दिनांक 10.08.2008 द्वारा प्राप्त हुआ है जिसकी छाया प्रति संलग्न है। पत्र के अनुसार श्री शर्मा को जिस अवधि में योजनाओं के संचालन हेतु अग्रिम दिया गया था से संबंधित अभिलेख तत्कालीन प्रखण्ड नाजीर श्री जीव नारायण मिश्र के प्रभार में था जो आलमीरा में बन्द था, को ताला तोड़कर Inventory List तैयार किया गया है। Inventory में प्राप्त कागजातों/अभिलेखों के आधार पर जो विवरणी बनाई गई है उसमें अभिश्रव के अनुसार 21,70,000/-- (इक्कीस लाख सत्तर हजार) रूपये एवं रोकड़ पंजी के आधार पर 15,07,500/- (पन्द्रह लाख सात हजार पपाँच सौ) रूपये कुल मिलाकर 36,77,500/- (छत्तीस लाख सतहत्तर हजार पाँच सौ) रूपये अग्रिम दिये जाने से संबंधित प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है।

वर्ष 1990-97 की अवधि का रोकड़ पंजी एवं श्री शर्मा को दिये गये अग्रिम से संबंधित अभिलेख ताला तोड़ने के बाद भी प्राप्त नहीं हुआ है। जिसके कारण दी गई अग्रिम राशि का पूर्ण ब्योरा उपलब्ध नहीं हो पा रहा है।

श्री राजा राम प्रसाद शर्मा, कनीय अभियंता, ग्रामीण अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, गया के मुकदमें की अद्यतन स्थिति के संबंध में सूचित किया गया है कि श्री शर्मा गिरफ्तार हुए थे परन्तु वर्तमान में वे जमानत पर हैं। कोंच थाना के द्वारा इनके विरूद्ध चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है।

अनुलग्नक : यथोक्त।

विश्वासभाजन,

11.8.08

उप विकास आयुक्त, गया।

16

Bihar Depots :
(i) Nai Basti, Mahadeva Road Siwan Ph. 2492
(ii) Chandauti More, Gaya Ph. 23488
(iii) Prof. Colony, Chitragora, Dhanbad Ph. 7710

BIRLA JUTE & INDUSTRIES LIMITED

BIRLA JUTE & INDUSTRIES LTD.

CEMENT DIVISION

Regional Office : Ashiana Towers
3rd Floor, Room No 301/303 Exhibition Road, Patna-1
Phone : 654760 & 656131 Telex : 022-359 SCW PT IN

Ref. No. SCW/Gaya/ 95-96 *Date* 27-03-96

Quotation-Cum-Proforma Invoice

To,
The D.M.
GAYA.

Sub : Our offer for supply of ... ... MT
Cement (OPC) in Grade 33 Conforming to ISS : 269/1976.

Dear Sir,

With reference to your Enquiry/Tender Letter No. ... ... dated ... ...we are pleased to submit our offer as per terms and conditions set out below :—

(1) Specification : OPC Grade 33 Conforming to ISS : 269/1976.

(2) Price : Rs. 2500.00 Per M. T. F. O. R. your Godown at... ..GAYA... ... ...
This price includes ... ..11%.. ... ... B. S. T. on Cement and 1% T. O. T. besides transportation cost upto your Godown/Stores at the above place. Unloading, however, has to be arranged and paid by you.
The total amount on the above works out to ... ... M. T × Rate Rs. ... ... Per M. T. = Rs. ... ... (Rs. ... ...)

(3) Validity : Upto ..30..6..96 .. ..; further extension is also possible only with our written consent.

(4) Delivery : Supply will commence within ... .from the receipt of technically and commercially clear purchase order alongwith 100% payment as advance.

(5) Payment : 100% payment as advance by way of Demand Draft to be drawn on S. B. I., Exhibition Road, Patna in favour of M/S BIRLA JUTE & INDUSTRIES LTD; alternatively, on any scheduled Bank operating in Patna.

(6) General Conditions : (i) This offer is subject to *force majeure* clause such as War, Civil commotions, Riots, Natural Calamities etc., including Railway movement restrictions etc, etc.

(ii) In case of any change in Excise Duty, Sales Tax, Railway Freight etc., which are determined by the Central/State Governments and any other fresh levies imposed by Governmental action during the pendency of the order will be to the account of the buyer.

(iii) The above will also include any change in the Price of input costs following Governmental action as detailed above.

We are confident that our offer will prove to be competitive and request that for any clarifications/ negotiations, please call us.

Thanking you,

Yours faithfully,

for Birla Jute & Industries Ltd.
Unit : Satna Cement Works/
Birla Vikas Cement
[signature]

17

BIRLA JUTE & INDUSTRIES LIMITED

BIRLA JUTE & INDUSTRIES LTD.

CEMENT DIVISION
Chandauti More, Shashi Market
GAYA
Ph.No. 2[illegible]16

Regional Office
ASHIANA TOWERS
3rd Floor, Room No. 301/303
Exhibition Road, Patna-1
Phone 254760 2656131
[illegible]

Ref. No. CVI-GAYA/95-96/ Date 27-03-96

28 MAR 96

The District Magistrate
GAYA.

Dear Sir,

As per discussion the undersigned had with your Deputy Collector - Shri Chandrama Singh, on date, we are ready to supply cement @ Rs. 125/= per bag (Rs. 2500.00 per M.T.) at F.O.R. all Block Headquarters of Gaya District.

We are enclosing herewith our quotation and terms & conditions for the needful.

Thanking you,

Yours faithfully
For BIRLA JUTE & INDUSTRIES LTD
(CEMENT DIVISION)

[signature]

A.K. VERMA
MARKETING OFFICER

Encl:- As above.
CC :- The Dy. Collector, Gaya.

18

पत्र संख्या 1215 /जि०ग्रा०वि०अभि०

प्रेषक,

श्री जानकी शरण प्रसाद, भा०प्र०से०
उप विकास आयुक्त-सह-प्रबंध निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया ।

सेवा में,

मेसर्स बिरला जूट ऐण्ड इन्डस्ट्रीज लि०,
।सिमेन्ट डिविजन।, चन्दौती मोड़ शशिमार्केट, गया ।
दूरभाष संख्या- 23716.

गया, दिनांक 4 अप्रैल, 1996

विषय :- सिमेन्ट आपूर्ति हेतु आदेश एवं राशि का प्रेषण ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक-एस सी डब्लू गया 95-96 दिनांक - 27-.-96 से प्राप्त प्रस्ताव के आलोक में ।25/-रु० प्रति बोरा की दर से कुल 20,000 ।बीस हजार। बैग सिमेन्ट की आपूर्ति हेतु 25.00 लाख ।पच्चीस लाख रु०। का एस बी आई बैंक ड्राफ्ट सं० [illegible] दिनांक [illegible] जो भारतीय स्टेट बैंक, एक्जीबिशन रोड पटना की शाखा पर भुगतेय है, संलग्न करते हुए अनुरोध है कि आदेश प्राप्ति के साथ तत्काल संलग्न सूची के अनुरूप सिमेन्ट की आपूर्ति अविलम्ब सुनिश्चित की जाय । अवशेष सिमेन्ट की आपूर्ति हेतु अलग से आदेश निर्गत किये जायेंगे ।

विश्वास भाजन,

ह०/-जानकी शरण प्रसाद,

उप विकास आयुक्त-सह-प्रबन्ध निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया ।

ज्ञाप संख्या 1215 /जि०ग्रा०वि०अभि० 4 गया, दिनांक

प्रतिलिपि सभी प्रखंड विकास पदाधिकारी ।नगर प्रखंड को छोड़कर/ जेल अधीक्षक, गया जिलान्तर्गत को सूचनार्थ प्रेषित । वे आवंटित सिमेन्ट का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना ।मुख्यधारा। के अन्तर्गत प्राप्त आवंटन में से तुरंत जमा करना सुनिश्चित करेंगे ।

प्रतिलिपि प्रखंड विकास पदाधिकारी, नगर को सूचनार्थ प्रेषित । वे 500 बैग का मूल्य बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से जवाहर रोजगार योजना की मुख्यधारा में प्राप्त आवंटन में से तुरंत जमा करें । शेष सिमेन्ट अपने भंडार में सुरक्षित रखेंगे जिसे वे जि०ग्रा०वि०अभि० के निर्गत आपूर्ति आदेश के अनुरूप संबंधितों को वितरित करना सुनिश्चित करेंगे ।

[illegible] 4/4/96

उप विकास आयुक्त-सह-प्रबन्ध निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया ।

पत्रांक [illegible]

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त-सह-उपाध्यक्ष-
सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया।

सेवा में,

मेसर्स [illegible] जूट एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड,
सीमेन्ट डिविजन,
पन्दीचा रोड, [illegible] मार्केट, गया।

गया, दिनांक [illegible]

विषय:- सीमेन्ट आपूर्ति आदेश का प्रेषण।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपको 13230 बैग सीमेन्ट की आपूर्ति हेतु 125 प्रति बैग की दर से कुल 16,53,750/- (सोलह लाख तीरपन हजार सात सौ पचास) रुपये का बैंक ड्राफ्ट 578753 दिनांक 3/6/96 द्वारा [illegible] अनुरोध है कि [illegible] निम्नप्रकार सीमेन्ट आपूर्ति [illegible] करें।

क्रमांक	प्रखण्ड का नाम	सीमेन्ट की मात्रा (बैग में)
1	बेलागंज	4000
2	बांकेबाजार	660
3	अतरी	1000
4	[illegible]गंज	1500
5	[illegible]	1500
6	कार्यपालक अभियंता, प॰ नि॰ वि॰ अ॰ यो॰ प्र॰ सं॰ प्रमंडल, गया।	20
7	मानपुर	1800
8	फतेहपुर	750
9	बेलागंज अंचल	750
10	बांकेबाजार अंचल	1250
		13230

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त-सह-
सह-प्रबंध निदेशक,
जिला ग्रामीण विकास अभिकरण, गया।

पत्रांक 765 दिनांक 10.08.08

1. प्रेषक,

प्रधान शिक्षा पदाधिकारी,
[illegible]

सेवा में,

उप शिक्षा आयुक्त
[illegible]

विषय:- श्री [illegible] पु० शर्मा [illegible] अभिलेखों के आधार पर [illegible] संबंध में [illegible] का प्रेषण।

प्रसंग:- जिला पदा० का पत्रांक 1487/[illegible] दिनांक 07/8/08.

महाशय,

उपर्युक्त विषयक एवं प्रासंगिक पत्र के आलोक में [illegible] प्रस्तुत [illegible] श्री [illegible] जिला के [illegible] में [illegible] आलोक [illegible] द्वारा अभिलेखों का [illegible] श्री रामाराम पु० शर्मा [illegible] अभिलेख [illegible] में [illegible] किया गया। [illegible] के आधार पर श्री शर्मा को [illegible] अभिलेख [illegible] एवं [illegible] पंजी के आधार पर [illegible] संलग्न है। श्री शर्मा के अभिलेख [illegible] श्री सुधीर कुमार, [illegible] पदाधिकारी [illegible]।

वर्ष 1990-97 से [illegible] पंजी एवं श्री रामाराम पुत्र शर्मा को [illegible] अभिलेख से संबंधित कोई अभिलेख एवं [illegible] आलमारी [illegible] के बाद [illegible] हुआ। [illegible] के बाद [illegible] एवं [illegible] पंजी [illegible] आधार पर श्री शर्मा को [illegible] अभिलेख से संबंधित [illegible] है। कुल 36,77,500=00 [illegible] पांच सौ रुपया का [illegible] का [illegible] है। इसके आलोक में [illegible] एवं अभिलेख [illegible]

के कारण । [illegible] आवास के अभाव में योग्य अभियन्ता कब-कब कितनी-कितनी राशि दी गयी वसूली विवरणी बनाना संभव नहीं हो रहा है।

सामान्य विवरणी में अंकित श्री प्रदीप कुमार तिवारी, तत्कालीन स०वि०प्र० बांका के द्वारा दी गयी है।

जहाँ तक श्री राजाराम प्रसाद शर्मा, क० अभियन्ता के मुकदमें का अद्यतन स्थिति का प्रश्न है वो इस वाद में गिरफ्तार हुए थे, तथा वर्तमान में जमानत पर हैं। निगरानी के द्वारा इनके विरुद्ध चार्जशीट दाखिल किया जा चुका है।

1 - अग्रिम राशि - - - - 2170000=00

2 - रोकड़ पंजी में अभिलेख के अभाव 36,77500=00

कुल योग- 36,77,500=00

अनु०

[illegible]

विश्वासभाजन

Sd/- 19/5

स०वि०प्र०

बांका

[illegible]

[illegible] राशि की विवरणी

क्रमांक	मामला संख्या वर्ष	भुगतान की तिथि	भुगतान की राशि
01	08/96-97	25.01.97	7,500.00
02	05/,,	12.03.97	7,500.00
03	02/,,	12.03.97	7,500.00
04	01/,,	12.03.97	7,500.00
05	01/,,	12.03.97	20,000.00
06	04/,,	12.03.97	7,500.00
07	04/,,	30.05.97	1,50,000.00
08	05/,,	30.05.97	1,50,000.00
09	02/,,	30.05.97	1,25,000.00
09/x 10	03/,,	30.05.97 30.05.97	50,000.00 1,10,000.00
11	32/97-98	30.05.97	7,500.00
12	33/,,	30.05.97	7,500.00
13	24/,,	30.05.97	7,500.00
14	28/,,	30.05.97	7,500.00
15	25/,,	30.05.97	7,500.00
16	22/,,	30.05.97	7,500.00
17	30/,,	30.05.97	7,500.00
18	27/,,	30.05.97	7,500.00
19	24/,,	30.05.97	7,500.00
20	20/,,	30.05.97	7,500.00
21	31/,,	30.05.97	7,500.00
22	26/,,	30.05.97	7,500.00
23	23/,,	30.05.97	7,500.00
24	21/,,	30.05.97	7,500.00
25	28/,,	02.06.97	7,500.00
26	26/,,	26.07.97	15,000.00
27	04/,,	26.07.97	20,000.00
28	20/,,	26.07.97	25,000.00
29	20/,,	26.07.97	30,000.00
30	32/,,	26.07.97	40,000.00
31	29/,,	26.07.97	30,000.00
32	27/,,	26.07.97	20,000.00
33	25/,,	26.07.97	15,000.00
34	23/,,	26.07.97	45,000.00
35	21/,,	26.07.97	15,000.00
36	33/,,	26.07.97	20,000.00
37	31/,,	26.07.97	20,000.00
38	07/,,	31.07.97	20,000.00
38	07/,,	31.07.97	7,500.00
39	26/,,	31.07.97	35,000.00
40	30/,,	31.07.97	15,000.00
41	23/,,	31.07.97	65,000.00
42	32/,,	31.07.97	40,000.00
43	05/96-97	31.07.97	1,20,000.00
44	08/,,	31.07.97	1,20,000.00
45	20/97-98	31.07.97	30,000.00
46	04/,,	31.07.97	65,000.00
		योग	15,95,000.00

	[illegible]		15,85,000.00
		31.07.97	40,000.00
47/	25/97-98		
48/	27/"	31.07.97	60,000.00
49/"	31/"	31.07.97	40,000.00
50/"	22/"	31.07.97	40,000.00
51/"	03/96-97	31.07.97	1,10,000.00
52/"	01/ "	31.07.97	1,00,000.00
53/97-98	33/97-98	31.07.97	50,000.00
54	29/"	31.07.97	30,000.00
55	09/96-97	31.07.97	1,15,000.00
		[illegible]	21,70,000.00

[illegible]

[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
120	804	03/96-97	30.01.97	7,500.00
123	"	01/"	30.01.97	200,000.00
124	"	03/"	30.01.97	30,000.00
126	"	/"	30.01.97	1,80,000.00
148		[illegible] "	30.01.97	1,00,000.00
149	"	[illegible]	30.01.97	1,00,000.00
01	"	07/96-97	13.03.97	75,000.00
02	"	06/"	13.03.97	75,000.00
03	"	05/"	13.03.97	55,000.00
04	"	04/"	13.03.97	1,70,000.00
05	"	03/"	13.03.97	2,75,000.00
06	"	02/"	13.03.97	1,50,000.00
07	"	01/"	13.03.97	70,000.00
			[illegible]	15,07,500.00

[illegible]

1. [illegible] 21,70,000.00
2. [illegible] 15,07,500.00

[illegible] 36,77,500.00

[illegible signature] 10/8

[illegible]

[illegible]

समाहरणालय, सीतामढ़ी
विकास प्रशाखा।

पत्रांक:- 692
दिनांक :- 19.3.07

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी ।

सेवा में,

श्री रामधारी सिंह,
सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना ।

विषय:- लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या-445 की कंडिकाओं एवं सी०ए०जी० के अंकेक्षण प्रतिवेदन की समीक्षा हेतु प्रतिवेदन [illegible]

प्रसंग:- आपका पत्रांक-1918/ग्रा०वि०, दिनांक-2.3.07

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषयक सूचित करना है कि [illegible] प्रतिवेदन संख्या-446 की कंडिका संख्या-1.14.10 से संबंधित प्रतिवेदन [illegible] हस्ताक्षरी के पत्रांक 149 दिनांक 15.1.07, कंडिका [illegible] प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 160 दिनांक-15.[illegible] .5 से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 159 दिनांक-15.1.07 [illegible] कंडिका संख्या 3.40.7.1, 3.40.7.1(क)(), 3.40.7.[illegible] एवं 3.[illegible] (ख) से संबंधित प्रतिवेदन अधोहस्ताक्षरी के पत्रांक 158 दिनांक 15.1.07 [illegible] पूर्व में ही भेजा जा चुका है। वर्तमान में कोई भी कंडिका अनुपालन हेतु [illegible] नहीं है। सुलभ प्रसंग हेतु पूर्व प्रेषित उपांकित चारों पत्रों की छायाप्रति [illegible] है ।

2- वर्ष 2000-01 से वर्ष 2004-05 तक सी०ए०जी० की कंडिकाओं में से मा॰ [illegible] कंडिका संख्या-4.14/03-04 एवं 4.16/2002-03 का ही अनुपालन लम्बित है। कंडिका संख्या-4.14/03 [illegible] उप विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, [illegible] ने अपने पत्रांक-342 दिनांक-16.3.07 द्वारा प्रतिवेदित [illegible] परिषद के व्यवसायिक भवन का किराया वसूली की राशि [illegible] रुपये तथा रोलर किराया कि राशि 3656 रुपये, जो सेन्ट्रल बैंक ऑफ [illegible] शाखा में जमा किया गया था, उसे निकासी कर दिनांक-[illegible] को जिला परिषद के पी०एल० खाता में जमा कर दिया गया है। ([illegible] संलग्न) अतः यह कंडिका निरस्त की जा सकती है।

3- कंडिका संख्या-4.16/02-03 के मामले में प्रखंड विकास पदाधिकारी, चोरौत ने अपने पत्रांक-95/30, दिनांक-8.2.07 एवं पत्रांक-[illegible] दिनांक 16.3.07 से सूचित किया है कि चोरौत प्रखंड के कर्मियों [illegible] 35,61,709 रुपये में से 12,18,586 रुपये का अभिश्रव/नगद [illegible] किया जा चुका है। 22,03,010 रुपये की वसूली हेतु अनुमंडल पदाधिकारी, पुपरी ने तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, श्री अरुण कुमार [illegible],

...हार कृषि सेवा केविरूद्ध पुपरी थाना काण्ड संख्या-118/03 धारा 409
...भा.द.वि. दिनांक-5.9.03 दर्ज किया है। इस काण्ड के अनुसंधानकर्त्ता श्री
...न प्रसाद सिंह, सहायक अवर निरीक्षक, पुपरी है। वर्तमान में यह काण्ड आरो-
...त पदाधिकारी के वर्तमान एवं गृह पता के अभाव में, इनकी गिरफ्तारी हेतु
...बित है। शेष बचे कर्मी श्री शम्भु प्रसाद चौरसिया, प्रधान सहायक, चोरौत प्रखंड
... जिम्मे 37,000/-रू0, श्री कपिलेश्वर दास, पंचायत सेवक के जिम्मे 25,000/-
रू0, श्री परमानन्द झा, पंचायत सेवक के जिम्मे 51,225/-रू0, श्री सुनील कुमार पं...
...चायत सेवक के जिम्मे 10,088/-रू0 एवं श्री अवध बिहारी पाण्डेय, पंचायत सेव...
... जिम्मे 16,800/-रू0 की वसूली हेतु अंचल अधिकारी, चोरौत के न्यायालय में
...शः नीलाम पत्र वाद संख्या-2/06-07 से 6/06-07 दिनांक-16.3.07 दायर
... । अतः की गई कार्रवाई को देखते हुए इस कंडिका को भी निरस्त किया जा
...ता है।

भवदीय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित ।

अनुलग्नक :-

1- ...स कार्यालय के पत्रांक-149,160, 159 एवं 158 दिनांक-15.1.2007 की छायाप्रति-चार पन्ने
2- ...प विकास आयुक्त-सह-मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी, जिला परिषद, सीतामढ़ी का पत्रांक-342 दिनांक-16.3.07 एवं संबंधित चालान की छायाप्रति - दो पन्ने
3- प्रखंड विकास पदाधिकारी, चोरौत का पत्रांक-85 दिनांक-16.3.2007 की छायाप्रति -एक पन्ना
4- थाना प्रभारी, पुपरी द्वारा उल्लेखित काण्ड संख्या-118/03 दिनांक-5.9.03 की छायाप्रति- एक पन्ना
5- प्रखंड विकास पदाधिकारी, चोरौत का पत्रांक-05/...0, दिनांक-...2.07 की छायाप्रति- ...दो पन्ने !

विश्वासभाजन,

(हस्ताक्षर)

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी ।

समाहरणालय सीतामढ़ी
विकास प्रशाखा
-000 —

पत्रांक – 119
दिनांक 15.1.07

प्रेषक, उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

सेवा में, सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार विधान सभा लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं० 446 का [वर्ष 97-98] का क्रमांक 29 की कंडिका 1.14.10, 7.1 [illegible] अनुपालन प्रतिवेदन के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- ग्रामीण विकास विभाग पत्र सं० 5758 दि० [illegible]

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में लोक लेखा समिति का [illegible] का क्रमांक 29 की कंडिका 1.14.10 का अनुपालन प्रतिवेदन [illegible] निम्न प्रकार है :

[illegible] में [illegible] के सम्बन्ध में। ([illegible] (ग्रामीण रोजगार) [illegible] 96-97.)

अनुपालन

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत [illegible] आयोजित सभा का [illegible] में सभा नहीं [illegible]।

विश्वासभाजन
[illegible]
उप विकास आयुक्त
सीतामढ़ी।

[illegible] निदेशक

27

समाहरणालय सीतामढ़ी
विकास शाखा
—०—

पत्रांक – 160
दिनांक 15.1.07

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

सेवा में,

सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय :- बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन सं० 446 की कंडिका - 3.40.7 के लिए कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग :- [illegible] पत्रांक 6176 दिनांक 20.6.06

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में [illegible] लोक लेखा समिति प्रतिवेदन संख्या 446 की कंडिका - 3.40.7 का कार्यान्वयन प्रतिवेदन निम्नवत् है।

1.94 3.40.7 [illegible]	–	कंडिका में सिर्फ 5 जिला अंकित है, परन्तु जिलों का नाम अंकित नहीं है। सीतामढ़ी जिलान्तर्गत वर्ष 93-94 से 96-97 तक ~~कुल 407 योजनाएँ~~ [illegible] राज्य सभा एवं लोक सभा के सदस्यों द्वारा कुल अनुशंसित 407 योजनाओं के विरुद्ध 407 योजनाएँ [illegible] योजनाएँ पूर्ण की गई। पूर्ण योजनाओं का प्रतिशत 89 है।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त
सीतामढ़ी

[illegible]
[illegible]

समाहरणालय सीतामढ़ी
विकास प्रशाखा
-000-

पत्रांक - 159
दिनांक 15 / '07

(13/4)

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 446 की कंडिका - 3.40.5 के लिए कार्यान्वयन प्रतिवेदन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्र संख्या 6176 दिनांक 20.6.05

महाशय,

उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 446 की कंडिका संख्या - 3.40.5 का प्रतिवेदन निम्न प्रकार है:

कंडिका 3.40.5 [illegible] — कंडिका में उल्लेखित 11 जिलों में मात्र पटना एवं मधुबनी जिला का नाम शामिल है।
सीतामढ़ी जिला में [illegible] प्राप्त एवं व्यय राशि का विवरण निम्न प्रकार है।

वर्ष	आरंभ शेष	प्राप्त निधि	कुल उपलब्ध निधि	[illegible]	[illegible]
93-94	शून्य	10,00,000/-	10,00,000/-	शून्य	10,00,000/-
94-95	10,00,000/-	20,75,240/-	30,75,240/-	[illegible]	[illegible]
95-96	20,80,461/-	30,30,597/-	50,11,308/-	[illegible]	[illegible]
96-97	24,27,941/-	52,33,366/-	76,70,307/-	12,42,973/-	[illegible]

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत जिला स्तर पर अर्जित ब्याज को योजनान्तर्गत रोकड़ में सम्मिलित किया जाता है।

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत [illegible] के लिए बैंक में अलग-अलग खाता खोला [illegible]।

सीतामढ़ी जिलान्तर्गत रोकड़ [illegible] में दर्शाये जमे शेष का मिलान बैंक शेष से किया [illegible] है।

विश्वासी

[illegible]
उप [illegible]

समाहरणालय सीतामढ़ी
विकास प्रशाखा
—ooo—

पत्रांक - 158
दिनांक 15/1/07

प्रेषक,
उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

सेवा में,
सरकार के उप सचिव,
ग्रामीण विकास विभाग,
बिहार, पटना।

विषय:- बिहार विधान सभा की लोक लेखा समिति का प्रतिवेदन संख्या 446 की कंडिका - 3.40.7.8, 3.40.7.8 (क) (i), 3.40.7.8 (क) (ii), 3.40.7.8 (ख) के लिए समेकित अनुपालन प्रतिवेदन प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

प्रसंग:- विभागीय पत्र संख्या - 6174 दिनांक [illegible]

महाशय,
उपर्युक्त प्रासंगिक विषय के संदर्भ में लोक लेखा समिति [illegible] 446 की निम्नांकित कंडिकाओं का अनुपालन प्रतिवेदन निम्न प्रकार है :

कंडिका संख्या	विवरण	अनुपालन प्रतिवेदन
3.40.7.8	[illegible] जिलों में भौतिक उपलब्धि [illegible] 11 जिलों में वर्ष 93-94 से 96-97 [illegible] सरकार तथा अनुमोदित योजनाएँ [illegible]	11 जिलों में सीता का नाम अंकित नहीं है। सीतामढ़ी जिला द्वारा वर्ष 93-94 से 96-97 तक कुल [illegible]
[illegible]	[illegible] कार्य कराया जाना -	सीतामढ़ी [illegible] यह कार्य कराया [illegible] कंडिका में वर्णित जिले में सीतामढ़ी जिला नहीं है।
3.40.7.8 (क) (ii)	[illegible] सदस्य के किसी अनुशंसा के बिना [illegible] को आने का कार्य जिलाधिकारी [illegible] द्वारा [illegible] को आवंटित कर दिया [illegible]	यह जमुई जिला से सम्बन्धित [illegible] है।
[illegible] (ख)	[illegible] योजनाओं को [illegible] -	यह पटना जिला से सम्बन्धित है। सीतामढ़ी जिला [illegible] से [illegible] कराया गया है।

विश्वासभाजन

[illegible]

निदेशक,
डी.आर.डी.ए.,

[illegible]

30

जिला परिषद कार्यालय
सीतामढ़ी ।

पत्रांक 342 दिनांक 16.3.07.

प्रेषक,

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी,
जिला परिषद, सीतामढ़ी ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी ।

विषय :- भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक द्वारा प्राप्त अंकेक्षण प्रतिवेदन के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक 2627 दिनांक 21-11-06 के क्रम में अंकेक्षण प्रतिवेदन की कंडिका संख्या 4.1.4. के अनुपालन में जिला परिषद व्यवसायिक भवन का किराया वसूली एवं रोकड़ [illegible] की राशि जमा करने हेतु संधारित सेन्ट्रल बैंक ऑफ इंडिया, [illegible] के बैंक खाता संख्या 47756 एवं 47368 में जमा राशि क्रमश: रुपया 1,51,237=00 एवं रुपया 6,656=00 बैंक से बैंक द्वारा प्राप्ति उपरान्त दिनांक 22-2-07 को जिला परिषद के पी० एल० खाता में जमा कर दिया गया है (चालान की फोटो प्रति संलग्न)

अतः उक्त अंकेक्षण आपत्ति को निरस्त करने की [illegible] की जा सकती है ।

विश्वासभाजन

उप विकास आयुक्त-सह-
मुख्य कार्यपालक पदाधिकारी
जिला परिषद, सीतामढ़ी ।

[illegible]

8443 Deposits of Local fund
[illegible] District Board fund [illegible]
District Board Sitamarhi fund
TRIPLICATE CHALLAN

Date [illegible]

[illegible]	1,21,237 [illegible]	
[illegible]	6658	10
Total–	1,57,895	[illegible]

Rs. [illegible] only
Examined & Entered.

[illegible]

Accountant, Treasury.

प्रखंड कार्यालय, चौरौत।

—000—

पत्रांक - 85

दिनांक - 16.3.7

प्रेषक,

प्रखंड विकास पदाधिकारी,
चौरौत।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त,
सीतामढ़ी।

विषय :- [illegible] पत्र दायर करने के संबंध में।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक भवदीय के पत्रांक 1547 [illegible] 06 के प्रसंग में सूचित करना है कि [illegible] पर [illegible] पत्र वाद अंचल अधिकारी [illegible] में दायर की गयी है :-

[illegible]	रकम	[illegible]
[illegible]	37000=00	[illegible]/06-07
[illegible]	25,000=00	[illegible]-07
[illegible]	51,225=00	4/06-07
[illegible] कुमार वर्मा	10,088=00	5/06-07
[illegible] बिहारी पाण्डेय	16,800=00	6/06-07

[illegible] कुमार भट्टाचार्य के विरुद्ध प्राथमिकी [illegible] (5,400) [illegible] दर्ज की गयी है जिसका [illegible] [illegible] अनुसंधानकर्ता श्री [illegible] [illegible] निरीक्षक (A.S.I) के [illegible] [illegible] [illegible] है।

[illegible] [illegible] की [illegible] प्रति।

विश्वासी

प्रखंड

अनुमण्डल कार्यालय, डुमरी
(सामान्य शाखा)
-:o:-

ज्ञाप संख्या- 493
डुमरी, दिनांक- 2/9/03

प्रेषक,

[illegible],
[illegible]।

विषय :- श्री अरुण कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, [illegible] अनुमण्डल डुमरी कार्यकाल दिनांक-15-3-97 से दिसम्बर, 2000 के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने के सम्बन्ध में।

[illegible] सूचित करना है कि श्री अरुण कुमार भट्टाचार्य [illegible] दिनांक-15-3-97 से दिसम्बर, 2000 तक प्रखंड विकास पदाधिकारी, [illegible] कार्यरत थे। अपने पदस्थापन काल में विभिन्न [illegible] इन्दिरा आवास योजना एवं अन्य [illegible] अपने नाम से मो० 18, 25, 450.00 रुपये का [illegible] प्राप्त कर लिया, उस राशि का समायोजन कराए बिना पुनः दिनांक-13-1-93 से 20-5-99 के बीच में मो० 5, 35,000.00 रु० विभिन्न योजनाओं के [illegible] कराने के नाम पर अपने नाम से चेक काटकर राशि प्राप्त कर लिया, इस प्रकार इन्होंने कुल -23,60,450.00 रुपये अग्रिम [illegible] प्राप्त कर कपट पूर्ण ढंग से गबन कर लिया। इन्होंने उपरोक्त राशि को किस मद में कहाँ खर्च किया उसका कोई विवरण उपलब्ध नहीं है।

[illegible] इस सम्बन्ध में बिहार सरकार ग्रामीण विकास विभाग के [illegible] दिनांक-16-7-2003 के द्वारा जिला पदाधिकारी, [illegible] किया गया है। उक्त पत्र के आलोक में [illegible] को प्राथमिकी दर्ज करने [illegible]।

[illegible] है कि उपरोक्त तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, [illegible] डुमरी अनुमण्डल श्री अरुण कुमार भट्टाचार्य [illegible] द्वारा दिनांक-15-3-97 से दिसम्बर, 2000 तक अपने पद का [illegible] कर, निकासी कर गबन किया गया है।

[illegible] है कि श्री अरुण कुमार भट्टाचार्य, तत्कालीन प्रखंड [illegible] अनुमण्डल डुमरी, जिला-गिरिडीह [illegible] भारतीय दण्ड संहिता के सुसंगत प्रावधानों के [illegible] विधि सम्मत कार्रवाई की जाय।

विश्वासभाजन

[illegible]
अनुमण्डल पदाधिकारी,
डुमरी

[illegible]
(1) [illegible]
(2) [illegible]
[illegible]
[illegible]

प्रखंड कार्यालय- चोरौत

पत्रांक :- 08/[illegible]
दिनांक :- 3/2/[illegible]

प्रेषक,

प्रखंड विकास पदाधिकारी
चोरौत ।

सेवा में,

उप विकास आयुक्त
सीतामढ़ी ।

विषय :- उ० वि० पत्र संख्या 5685/ग्रा० वि० [illegible] दि०
06.06.06 के अनुपालन के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक अवहोल पत्र संख्या 15[illegible] दि० [illegible] 06.06 के [illegible] में सूचित करना है कि [illegible] के [illegible] मियों को दिये गये अग्रिम 35,61,709=00 [illegible] कुल 1218586=00 रुपये एकिभन / नगद द्वारा समायोजन किया जा चुका है। शेष बचे मो० 23,43,123=00 रुपये में से मो० 22,30,10=00 तत्कालीन प्रखंड विकास पदा० श्री [illegible] कुमार गहटावालों के ऊपर बाकिया है जिसके लिये [illegible] पदाधिकारी प्रपत्र के द्वारा [illegible] दर्ज है [illegible] 118/03 दिनांक 5.9.03 है। शेष बचे 1,40,113=00 रुपये की वसूली हेतु क्रमांक 2, 6, 7 एवं 8 पर नीलामवाद दायर की जा रही है। (सूची संलग्न)

विश्वासभाजन

[illegible]
प्रखंड विकास पदाधिकारी
चोरौत ।

कर्मियों का नाम	बकाया	समायोजित	अवशेष	अभ्युक्ति
...कुमार भट्टाचार्य प्र० नि०वि०चयन	22,03,010=00	—	22,03,010=00	[illegible] प्रा० [illegible] 118/03 दिनांक 5.9.03
...प्रसाद चौरसिया प्र० सहायक	55,000=00	18,000=00	37,000=00	निलम्बित रहे [illegible] किया गया है।
...भूषण ठाकुर ...जा विकार पदा०	10,23,386=00	10,23,386=00	—	
...नन्दा मिश्र ...कौसिल पदा०	35,000=00	35,000=00	—	
...विलास यादव ...खेत सेवक	1,42,200=00	142200=00	—	—
...लेश्वर दास, प्र०स०	25,000=00	—	25,000=00	निलम्बित रहे [illegible] किया गया है।
...मानन्द झा, फो०	51,226=00	—	51,226=00	
...नील कुमार वर्मा, [illegible]	[illegible]	—	10,058=00	
...किशोरी पाण्डेय, [illegible]	16,800=00	—	16,800=00	

ह० [illegible]
प्र० [illegible]
[illegible]

समाहरणालय, सीतामढ़ी
विकास प्रशाखा।

पत्रांक :- 643
दिनांक :- 19.3.03

प्रेषक,
जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी ।

सेवा में,
आरक्षी अधीक्षक,
सीतामढ़ी ।

विषय :- श्री अरुण कुमार भट्टाचार्य, बिहार कृषि सेवा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, चोरौत को गिरफ्तारी के सम्बन्ध में ।

महाशय,

उपर्युक्त विषयक सूचित करना है कि श्री अरुण कुमार भट्टाचार्य बिहार कृषि सेवा एवं प्रखंड विकास पदाधिकारी, चोरौत (कार्यरत दिनांक 15. 3. 97 से सितम्बर-2000) के विरुद्ध पुपरी थाना काण्ड संख्या-116/03 दिनांक-5. 9. 03 धारा 409 भा. द. वि., 23,60,450/-रु० का अग्रिम विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अपने नाम से चेक काटकर कोषागार से गबन कर लेने के कारण दर्ज किया गया था ।

प्रखंड विकास पदाधिकारी, चोरौत के पत्रांक 05 दिनांक [illegible] से ज्ञात होता है कि उपरोक्त काण्ड के अनुसंधानकर्ता श्री [illegible] सहायक अवर निरीक्षक [illegible] हैं तथा यह काण्ड श्री भट्टाचार्य [illegible] हेतु लम्बित है। विदित हो कि इस काण्ड से कार्रवाई [illegible] प्रतिवेदन के निष्पादनार्थ आवश्यक है।

अतः अनुरोध है कि श्री भट्टाचार्य को गिरफ्तारी [illegible] इस काण्ड में अन्य अपेक्षित कार्रवाई शीघ्र कृपया शीघ्र की जाय ।

विश्वासभाजन,
जिला पदाधिकारी,
सीतामढ़ी ।

ज्ञापांक :- दिनांक :-

प्रतिलिपि- आयुक्त-सह-सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ करते हुए अनुरोध है कि उपरोक्त काण्ड के निष्पादन हेतु श्री भट्टाचार्य के वर्तमान एवं [illegible] पता [illegible] उपलब्ध कराने की कृपा की जाय ।

निदेशक, [illegible] उप [illegible] युक्त
[illegible]
जिला पदाधिकारी
सीतामढ़ी

बिहार [illegible]

ग्रामीण विका[illegible] विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना एवं कौशी क्रान्ति योजना का कार्य)

पत्रांक- 1940 ([illegible]) पटना, दिनांक- 10.5.06

प्रेषक,

श्री हसनैन आलम,
सरकार के संयुक्त सचिव ।

सेवा में,

कार्यपालक अभियंता,
ग्राम्य अभियंत्रण संगठन
कार्य प्रमंडल, शेखपुरा ।

विषय- श्री गणेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रा०अ०सं० कार्य प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा सरकारी राजस्व की राशि [illegible] 10.00 लाख के गबन के मामले में प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में ।

प्रसंग- अधीक्षण अभियंता, ग्रा०अ०सं०, कार्य अं[illegible], भागलपुर के [illegible] दिनांक-9.2.05

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र से प्राप्त जाँच प्रतिवेदन के अनुसार श्री गणेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा ने [illegible] राजस्व मद में, जमा न कर इसे अग्रिम के रूप में खर्च की गई ।

अधीक्षण अभियंता, भागलपुर के उक्त जाँच प्रतिवेदन में श्री सिंह पर 10.00 लाख रुपये का हेरा-फेरी गबन का मामला प्रतिवेदित किया गया है । इस संबंध में श्री सिंह के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश माननीय मंत्री, विभाग पटना से प्राप्त है । सुलभ सं[illegible] हेतु आदेश की [illegible] प्रति संलग्न की जाती है

अतः अनुरोध है कि श्री सिंह के विरुद्ध [illegible] के अन्दर प्राथमिकी दर्ज कर अधोहस्ताक्षरी को सूचित की जाये । इसे शीर्ष प्राथमिकता दी जाये ।

विश्वासभाजन,

ह०/-
सरकार के संयुक्त सचिव ।

मुनेश्वर/4.5.06

ज्ञापांक- पटना, दिनांक-

प्रतिलिपि :- अधीक्षण अभियंता, ग्रा०अ०सं०, कार्य अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक अनुपालनार्थ प्रेषित ।

सरकार के संयुक्त सचिव ।

P.T.O.

फाइल 38
अनुमोदन हेतु प्रारूप 1

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना एवं कोशी क्रांति योजना का कार्य)

पत्रांक–1/अ0प्र0–10–29/2004– 3741 (अनु0) /पटना,दिनांक– 9/9/05

प्रेषक,
सुधीर कुमार राकेश, (हस्तलिखित संशोधन: रश्मि आलम)
सरकार के सचिव।

सेवा में,
सचिव,
पथ निर्माण विभाग बिहार, पटना।

विषय : प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राप्त ड्राफ्ट पारा के आलोक में ग्रा0अ0सं0, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा के तत्कालीन कार्यपालक अभियंता श्री गणेश प्रसाद सिंह एवं अन्य अभियंताओं के विरूद्ध सरकारी राजस्व के गबन के आरोप में विभागीय कार्यवाही के संबंध में।

प्रसंग : प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त ड्राफ्ट पारा संख्या–4.1.1

महाशय,

उपर्युक्त विषयक प्रधान महालेखाकार, बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त ड्राफ्ट पारा संख्या–4.1.1 की छायाप्रति संलग्न करते हुए सूचित करना है कि प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या डब्लू0–11–143/03–04 तथा इस विभाग द्वारा कराई गयी जाँच के आलोक में ग्रा0अ0सं0 कार्य प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा जनवरी,2000 से जुलाई,2001 तक दो जिला ग्रामीण विकास अभिकरणों शेखपुरा एवं लखीसराय से विभिन्न (दो सांसद/विधायक/विधान पार्षद/जिला योजना/सुनिश्चित रोजगार योजना आदि) में प्राप्त लगभग 6.76 करोड़ रूपये की राशि से कराये जा रहे विभिन्न कार्यों से संबंधित विपत्रों से लगभग 14.19 लाख रू0 खनिज रॉयल्टी मद में काटने के बावजूद ग्रा0अ0सं0, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा द्वारा सरकारी कोषागार में जमा नहीं कराया गया, अपितु उसे पुनः विभिन्न अवर प्रमंडलों को अस्थायी अग्रिम के रूप में दे दिया गया। इस क्रम में शेखपुरा अवर प्रमंडल को उक्त राशि 14.19 लाख में से 13.77 लाख राशि अग्रिम दी गयी जिसमें से 10.00 लाख रूपया अवर प्रमंडल पदाधिकारी, शेखपुरा एवं उनके कनीय अभियंता द्वारा प्राप्त नहीं किये जाने की सूचना दी गयी है। प्रथम द्रष्टया यह सरकारी राजस्व के दुर्विनियोग एवं गबन का मामला प्रतीत होता है, जिसके लिए तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा श्री गणेश प्रसाद सिंह (दिनांक 31.07.2003 को सेवा निवृत्त) एवं तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अवर प्रमंडल, शेखपुरा/लखीसराय/बरबीघा क्रमशः श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, श्री अवध किशोर यादव एवं श्री रवीन्द्र पाण्डेय दोषी प्रतीत होते हैं।

इस संबंध में विभाग द्वारा निर्णय लिया गया है कि पथ निर्माण विभाग से अनुरोध किया जाये कि तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, श्री गणेश प्रसाद सिंह (सेवा निवृत्त) के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही चलायी जाये तथा उक्त कार्यवाही के निष्पादन तक श्री सिंह को शत–प्रतिशत सेवान्त लाभों का भुगतान नहीं किया जाये।

पी0 ओ0

इसके साथ ही तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अवर प्रमंडल, शेखपुरा/लखीसराय एवं बरबीघा क्रमशः (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (2) श्री अवध किशोर यादव एवं (3) श्री रवीन्द्र पाण्डेय के विरूद्ध बिहार असैनिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम–55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने का अनुरोध करने का भी निर्णय सरकार द्वारा लिया गया है।

अतः उपर्युक्त चारों अभियंताओं के विरूद्ध प्रपत्र "क" में आरोप–पत्र गठित करते हुए साक्ष्य–तालिका तथा सरकार के निर्णय से संबंधित टिप्पणी पृष्ठों की छाया प्रतियां संलग्न कर भेजते हुए अनुरोध है कि इस संबंध में अविलम्ब अग्रतर कार्रवाई की जाये तथा कृत कार्रवाई की सूचना मुख्य सचिव, बिहार, पटना तथा वित्त विभाग को देते हुए उसकी एक प्रति अधोहस्ताक्षरी को भी देने की कृपा की जाये।

इसे कृपया उच्च प्राथमिकता दी जाये।

अनु0–यथा उपर्युक्त।

1. आरोप पत्र (प्रपत्र "क") चार अदद
2. साक्ष्य तालिका
   (क) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना का ड्राफ्ट पारा सं0 4.1.1 की छायाप्रति
   (ख) प्रधान महालेखाकार (लेखा परीक्षा) बिहार, पटना के कार्यालय से प्राप्त निरीक्षण प्रतिवेदन सं0 डब्ल्यू–11–143/03–04 की छायाप्रति।
   (ग) अधीक्षण अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अंचल, भागलपुर से प्राप्त जांच प्रतिवेदन की छायाप्रति (अनुलग्नकों सहित)
   (घ) विभागीय संचिका संख्या–1/अ0प्र0–10–29/04 के पृष्ठ 13–15/टि0 की छायाप्रति।

विश्वासभाजन

सरकार के सचिव

97

(C)

बिहार सरकार
ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/पार्षद योजना एवं काशी क्रांति योजना का कार्य)

पत्रांक–1/अ0प्र0–10–29/2004– 1827 /पटना,दिनांक– 1/06/05

प्रेषक,
सुधीर कुमार राकेश,
सरकार के सचिव।

सेवा में,
वित्त आयुक्त,
बिहार, पटना।

विषय : गबन, जालसाजी एवं राजस्व की क्षति के संबंध में।

प्रसंग : श्री विश्वनाथ सिंह, संयुक्त सचिव, वित्त विभाग का पत्रांक 387/वि0 पटना दिनांक 05.02.05।

महाशय,

कृपया उपर्युक्त विषयक प्रासंगिक पत्र का संदर्भ किया जाये। महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राप्त प्रारूप कंडिका संख्या–4.1.1 में श्री गणेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य प्रमंडल, शेखपुरा (संप्रति सेवा निवृत) के विरूद्ध जाली हस्त रसीद पर अस्थायी अग्रिम दिखाकर 10.00 लाख (दस लाख) रूपये के सरकारी राजस्व के गबन का आरोप है।

इस संबंध में विभाग के स्तर से निर्णय लिया गया है कि श्री गणेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता के विरूद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम 43(बी) के अन्तर्गत विभागीय कार्यवाही चलाने तथा उक्त कार्यवाही के निष्पादन तक श्री सिंह को शत–प्रतिशत सेवान्त लाभों का भुगतान नहीं करने का अनुरोध संबंधित कार्यपालक अभियंता के प्रशासी विभाग अर्थात् पथ निर्माण विभाग से किया जाये।

उपर्युक्त मामले में अन्य आरोपी पदाधिकारी, श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अवर प्रमंडल, शेखपुरा श्री अवध किशोर यादव, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अवर प्रमंडल, लखीसराय एवं श्री रवीन्द्र पाण्डेय, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रा0अ0सं0, कार्य अवर प्रमंडल, बरबीघा के विरूद्ध बिहार असैनिक सेवा वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम 55 के तहत विभागीय कार्यवाही चलाने हेतु इनके विरूद्ध आरोप पत्र गठित कर इनके पैतृक विभाग पथ निर्माण विभाग को भेजा जा रहा है।

बिहार वित्त नियमावली के नियम 31 के आलोक में उपरोक्त सूचनाएं प्रेषित की जा रही हैं।

विश्वासभाजन

(हस्ताक्षर) 1/6/2005

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–1/अ0प्र0 1– 29/2004 — 1827 पटना, दिनांक– 1/6/2005

प्रतिलिपि : प्रधान महालेखाकार, (लेखा परीक्षा), बिहार, पटना को उनके द्वारा मुख्य सचिव, बिहार को संबोधित कर भेजी गई प्रारूप कंडिका सं0 4.1.1 के संबंध में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/6/2005

सरकार के सचिव

ज्ञापांक–1/अ0प्र0 10–29/2004 — 1827 पटना, दिनांक– 1/6/2005

प्रतिलिपि : मुख्य सचिव, बिहार, पटना को उनके पत्रांक 103/मु0मु0स0, पटना दिनांक 4 जनवरी,2005 के प्रसंग में सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

(हस्ताक्षर) 1/6/2005

सरकार के सचिव

SKR-Sec-VIII-72

एवं बरबीघा क्रमशः (1) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह (2) श्री अ... (3) श्री रवीन्द्र पाण्डेय के विरुद्ध बिहार असैनिक सेवा वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील नियमावली के नियम–55 के तहत विभागीय कार्यवा...

51

(1)

दैनिक जागरण दिनांक - 14/9/05

बिहार सरकार

ग्रामीण विकास विभाग

(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक / पार्षद योजना एवं कोशी क्रांति योजना का कार्य)

पत्रांक संख्या- 484/5 पटना, दिनांक- 10/09/2005

आवश्यक सूचना

श्री कृष्णा प्रसाद सिंह, तत्कालीन (वर्ष 1996-97 से पूर्व 1999-2000) [illegible] ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, आरा) जो [illegible] (कार्य प्रमंडल, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, आरा) [illegible] (कार्य प्रमंडल सासाराम के अंतर्गत) [illegible] प्रमंडल, विक्रमगंज एवं डेहरी ऑन सोन (कार्य प्रमंडल सासाराम के अंतर्गत) [illegible] महालेखाकार (लेखा परीक्षा), बिहार के प्रतिवेदन के अनुसार [illegible] आपके विरुद्ध वर्ष 1996-97 से 1999-2000 के बीच संचित असमायोजित अस्थायी अग्रिम [illegible] बिहिया (कार्य प्रमंडल, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, आरा) [illegible] रुपये है। साथ ही अवर प्रमंडल, बिहिया (कार्य प्रमंडल, ग्राम्य अभियंत्रण [illegible] की राशि 26.13647 लाख रुपये है। [illegible] उनके विरुद्ध संचित असमायोजित अस्थायी अग्रिम के रूप में उनके पास संचित है। विभाग को यह भी जानकारी [illegible] 103.93647 लाख रुपये असमायोजित अस्थायी अग्रिम के रूप में [illegible] अवर प्रमंडल (कार्य प्रमंडल, ग्रा०अ०सं०, [illegible] प्राप्त हुई है कि उनके द्वारा अभी तक विधिवत् रूप से अवर प्रमंडल [illegible] (कार्य प्रमंडल, ग्रा०अ०सं०, सासाराम) का प्रभार भी नहीं सौंपा गया है। आरा) विक्रमगंज एवं डेहरी अवर प्रमंडल (कार्य प्रमंडल, ग्रा०अ०सं०, [illegible] यह गंभीर वित्तीय एवं प्रशासनिक अनियमितता का मामला है।

विभाग को यह जानकारी मिली है कि श्री के०पी० सिंह वर्तमान समय में कार्यपालक अभियंता के रूप में झारखंड राज्य में पदस्थापित हैं। विगत प्राप्त जानकारी के अनुसार वे कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, [illegible] (झारखंड राज्य) के रूप में पदस्थापित थे तथा अभी संभवतः कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, [illegible] के रूप में पदस्थापित हैं। पर इसकी संपुष्टि अभी नहीं हो पाई है।

अतः इस सूचना के माध्यम से श्री के०पी० सिंह, तत्कालीन सहायक अभियंता, ग्रा०अ०सं० (वर्तमान में कार्यपालक अभियंता स्तर में झारखंड राज्य में पदस्थापित) को निदेशित किया जाता है कि वे इस सूचना के प्रकाशन के साथ [illegible] के भीतर कार्यपालक अभियंता ग्रा०अ०सं०, कार्य प्रमंडल, आरा तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रा०अ०सं०, कार्य प्रमंडल, सासाराम से संपर्क कर तत्काल असमायोजित अग्रिम का [illegible] तथा अपना पूर्ण प्रभार विधिवत सौंपें, अन्यथा उनके विरुद्ध सरकारी राशि के गबन के आलोक में [illegible] मुकदमा दर्ज कराया जायेगा तथा अन्य कानूनी/अनुशासनिक कार्रवाई भी की जायेगी।

श्री के०पी० सिंह को यह भी निदेश दिया जाता है कि वे तत्काल अपने पदस्थापन का पूर्ण पता एवं दूरभाष [illegible] संख्या [illegible], ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा०अ०सं०, पंचायत राज, विधायक / पार्षद योजना एवं कोशी क्रांति योजना का कार्य) बिहार, 5वीं मंजिल, विश्वेश्वरैया भवन, बेली रोड, पटना को तथा कार्यपालक अभियंता, ग्रा०अ०सं०, कार्य प्रमंडल आरा / सासाराम को भी दें।

सरकार [illegible]
ग्रामीण विकास विभाग
(ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक / पार्षद योजना एवं कोशी क्रांति योजना का कार्य)
बिहार, पटना

सू.ज.स.नि. 3019 (REO- 147)05-06, बिहार

417/06

कार्यपालक अभियंता का कार्यालय,
ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

पत्रांक : ..../शेखपुरा, दिनांक ....

प्रेषक,

सत्येन्द्र नारायण सिंह
कार्यपालक अभियंता
ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल,
शेखपुरा।

815 515 HO
24.6.06

सेवा में,

थाना प्रभारी,
सदर थाना शेखपुरा,

विषय :- श्री गणेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियन्ता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल शेखपुरा, सम्प्रति सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग, बिहार, पटना के विरूद्व प्राथमिकी दर्ज करने के संबंध में।

महाशय,

ग्रामीण विकास विभाग (ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, पंचायत राज, विधायक/ पार्षद योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य) के पत्रांक 1940 (अनु०) दिनांक 10.05.2006 के माध्यम से श्री गणेश प्रसाद सिंह, तत्कालीन कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल शेखपुरा, सम्प्रति सेवा निवृत कार्यपालक अभियंता, पथ निर्माण विभाग के विरूद्ध उनके द्वारा सरकारी राजस्व के 10.00 (दस) लाख रूपये की राशि के गबन/ हेराफेरी करने के आरोप में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए निर्गत आदेश के अनुपालन में यह प्राथमिकी दर्ज किया जा रहा है।

(2) श्री गणेश प्रसाद सिंह के विरूद्ध प्राथमिकी दर्ज करने का आदेश माननीय मुख्यमंत्री, बिहार पटना से प्राप्त है।

(3) अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर द्वारा दिये गए जाँच प्रतिवेदन के अनुसार :-

(i) श्री गणेश प्रसाद सिंह द्वारा रॉयल्टी मद में प्राप्त 14.18 लाख रूपये की राशि में से 4.18 लाख रूपये को नियमानुसार कोषागार में जमा नहीं किया गया तथा इसका अन्य मदों में विचलन कर दिया गया जो, स्पष्टतः गबन का मामला है।

(ii) रॉयल्टी मद के 10.00 (दस) लाख रूपये की राशि को श्री गणेश प्रसाद सिंह द्वारा अग्रिम के रूप में व्यय दिखाया गया है, लेकिन संबंधित सहायक अभियंता द्वारा इस राशि का अग्रिम प्राप्त करने से इनकार किया गया है।

(iii) अधीक्षण अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर द्वारा जाँच प्रतिवेदन में श्री गणेश प्रसाद सिंह पर 10.00 (दस) लाख रूपये के गबन/ हेरा-फेरी का मामला प्रतिवेदित किया गया है।

(4) ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल शेखपुरा में उपर्युक्त 10.00 (दस) लाख रूपये का गबन का मामला महालेखाकार, बिहार पटना के प्रारूप कंडिका 4.1.1 में प्रतिवेदित किया गया है।

(5) खनन राजस्व या किसी प्रकार के राजस्व की प्राप्ति की राशि किसी भी रूप में खर्च करने का अधिकार कार्यपालक अभियंता को नहीं है जो श्री गणेश प्रसाद सिंह द्वारा कार्यपालक अभियंता, ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल शेखपुरा के रूप में किया गया है।

(6) अतः अनुरोध है कि अधीक्षण अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर के जाँच प्रतिवेदन में प्रतिवेदित उपर्युक्त सरकारी राशि के गबन एवं हेराफेरी के लिए श्री गणेश प्रसाद सिंह के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता एवं भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम के सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत प्राथमिकी दर्ज की जाय।

विश्वासभाजन

ह०

कार्यपालक अभियंता,

ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य प्रमण्डल, शेखपुरा

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, कार्य अंचल, भागलपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०

कार्यपालक अभियंता

ज्ञापांक .... दिनांक ....

प्रतिलिपि मुख्य अभियंता-1 ग्राम्य अभियंत्रण संगठन, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०

कार्यपालक अभियंता

ज्ञापांक ....413.... दिनांक ....15/06/06....

प्रतिलिपि संयुक्त सचिव / सचिव, ग्रामीण विकास विभाग (ग्रा० अ० सं०, पंचायत राज, सिंचाई योजना एवं कोशी क्रान्ति योजना का कार्य) विहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु समर्पित।

ह०

कार्यपालक अभियंता

ललित कुमार यादव,
सभापति,
लोक लेखा समिति,
बिहार विधान-सभा, पटना ।

पटना :
दिनांक 30 नवम्बर, 2011 (ई०) ।

बि०स०मु० (एल०ए०), 100--डी०टी०पी०--500

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,
बिहार, पटना द्वारा मुद्रित
2012